उन्नति विचार

वर्ष : 14 अंक : 2 मई-अगस्त, 2009

अनुक्रम

संपादकीय 1

विकास विचार 2
- ग्राम न्यायालय: क्या इससे परिवर्तन होगा?

आपके लिए 6
- ग्राम न्यायालय अधिनियम - २००८

अपनी बात
- सहभागी बजट प्रक्रिया: ब्राजील की सीख 10
- शहरी गरीबी निवारण: शासन के प्रश्न 16

गतिविधियाँ 20

संदर्भ सामग्री 27

अपने बारे में 32

संपादकीय टीम :
दीपा सोनपाल
बिनोय आचार्य

वार्षिक चंदा : 25 रु. मात्र
बैंक ड्राफ्ट अथवा मनीऑर्डर 'उन्नति' विकास शिक्षण संगठन, अहमदाबाद के नाम भेजें।

केवल सीमित वितरण के लिए

संपादकीय

शासन का अधिकार-आधारित अभिगम

हाल ही में भारत में कई महत्त्वपूर्ण ढांचागत बदलाव हुए हैं। खासकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, सूचना अधिकार अधिनियम और वन भूमि अधिकार अधिनियम आदि से भारत के राजनैतिक और आर्थिक ढांचे में उल्लेखनीय परिवर्तन आए हैं। अब सूचना अधिकार अधिनियम में सुधार किए जा रहे हैं और संसद तथा विधान सभाओं में महिलाओं के आरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अब पंचायतों में महिलाओं के लिए ५० प्रतिशत सीटें आरक्षित रखने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त, प्राथमिक शिक्षण मुफ्त और अनिवार्य बनाने के लिए शिक्षा के अधिकार का कानून बनाया गया है और न्याय को खासकर ग्राम विस्तारों में लोगों के घर-आंगन तक पहुंचाने के लिए ग्राम न्यायालय अधिनियम भी बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, न्याय पंचायत अधिनियम बनाने के लिए विचार-विमर्श चल रहा है और अन्न सुरक्षा के लिए भी कानून बनाने के लिए विचार-विमर्श चल रहा है। इसमें कोई शंका नहीं है कि भारत की समग्र शासन व्यवस्था में इन बदलावों से काफी परिवर्तन आ रहे हैं।

इन बदलावों का अर्थ यह है कि देश की शासन व्यवस्था की बुनियाद में लोक कल्याण का जो विचार था उसके बदले शासन लोकाभिमुख बने और नागरिक अधिकार-आधारित व्यवस्था में अपना कल्याण स्वयं करने के लिए प्रयास करे। बदलावों का दूसरा अर्थ यह है कि इस अधिकार-आधारित अभिगम से शासन के सुधरने के अवसर पैदा होते हैं। परंतु इन कानूनी बदलावों से अपने आप ही व्यवस्था में वांछनीय तेजी से परिवर्तन नहीं हो सकते। गरीबी, निरक्षरता और बेकारी इतनी अधिक व्यापक है कि नागरिकों के लिए इन अवसरों को पैदा करना एक चुनौती है। नागरिकों की जागृति और उनका कर्तव्य ही शासन की व्यवस्था को अधिक प्रतिभावात्मक बना सकता है। इसके लिए लोगों की कुशलता का विकास करना, आत्मविश्वास पैदा करना और क्षमता का निर्माण करना आवश्यक मुद्दे हैं। कई परस्पर विरोधी कारक साथ-साथ काम करते हैं। उदाहरण के लिए अन्न सुरक्षा पैदा करने के लिए चिंता की जाती है तभी खासकर खाद्य चीजों में अंधाधुंध भाव बढ़ोतरी से मूलभूत असुरक्षा पैदा होती है। देखने की बात यह है कि इन कारकों पर कैसे रोक लगाई जाए और वास्तव में किस तरीके से ढांचागत परिवर्तनों के लाभ आम आदमी तक पहुंच सकते हैं। सहस्राब्दी विकास लक्ष्यांकों या सार्क विकास लक्ष्यांकों को पूरा कर पाना इन परिस्थितियों में जितना आसान सोचा था वह उससे कहीं अधिक कठिन है। परंतु लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन को लोगों तक ले जाने की संभावनाएं विशेष होती हैं क्योंकि शासकों को लोगों के प्रति जवाबदार और उत्तरदायी बनने की अनिवार्यता होती है। परिणाम स्वरूप मानव अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता नागरिकों में और शासकों में सतत विकासमान रखने के लिए गहन प्रयास करना अनिवार्य है क्योंकि राज्य मनुष्य के लिए है मनुष्य राज्य के लिए नहीं, यह बुनियादी भावना इसके पीछे रहती है।

ग्राम न्यायालयः क्या इससे परिवर्तन होगा?

भारत की संसद ने हाल ही में ग्राम न्यायालय अधिनियम पास किया है। देश भर में न्याय को लोगों तक पहुंचाने के लिए यह कानून काफी महत्वपूर्ण है। इस कानून की टीकात्मक विवेचना अहमदाबाद के **'सेन्टर फॉर सोशल जस्टिस'** के उप प्रमुख **श्री गगन सेठी** द्वारा यहां की गई है। इस लेख में ग्राम न्यायालय अधिनियम-२००८ की सिफारिशों का मूल्यांकन किया गया है।

प्रस्तावना

न्यायालयों को मंदिर कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आप इसकी जितनी प्रदक्षिणा करो उतनी मात्रा में आपकी इच्छा पूरी होने की संभावना बढ़ जाती है। देश में ग्रामीण, शहरी और विविध वर्गों के लोगों के लिए न्यायालय में जाने का सामाजिक-राजनैतिक अर्थ अलग-अलग होता है। कई समुदायों में आप अदालती केसों में फंसे हों तो उसे प्रतिष्ठा की बात माना जाता है। वह आपके दरजे को ऊंचा उठाता है। वहीं कई समुदायों में आप पर केस चलता हो तो आपके साथ कोई लड़की शादी के लिए भी तैयार नहीं होगी।

भारत के महान न्यायतंत्र की जो आंतरिक शक्ति खिली है वह उल्लेखनीय है। वे आज भी १० वर्ष या २० वर्ष पुराने केस उतने ही धैर्य और गंभीरता से सुनते हैं, जैसे २४ घंटे पहले हुई घटना के बारे में वे कोई रिमान्ड या जमानत की अरजी को सुनते हों। इस प्रकार की परिस्थितियों में ग्राम न्यायालय और न्याय पंचायत के स्वरूप में न्याय का मंदिर लोगों के घर-आंगन तक पहुंचाने की मांग की जाती रही थी। समग्र न्याय व्यवस्था में ग्राम न्यायालय सबसे नीचे होता है और गांव के कार्यक्षेत्र के अंदर होता है और ऐसा सोचा गया था कि वह आबादी के आधार पर हो। इसी तरह, दूसरी एक व्यवस्था न्याय पंचायत की है जिसमें आधुनिक न्यायिक सत्ता और सदियों पुरानी पंचायतों की बुद्धिमत्ता का भी मिश्रण करने की मांग की जाती रही थी।

न्याय पंचायतों की मसौदा समिति में होने के कारण मुझे न्याय पंचायत में अधिक गुण दिखे थे और अभी भी मैं ऐसा समझता हूं कि इन दोनों की ही जरूरत है। भारत सरकार ने ग्राम न्यायालय अधिनियम २००९ को चौथे कानून के रूप में घोषित किया है। क्या वह तेजी न्याय प्राप्त करने में सहायता करने के लिए निर्धारित कानून बनेगा या फिर विलंब, भ्रष्टाचार आदि जैसी बातों में बढ़ोतरी करने वाला एक और स्तर बनेगा?

हकीकत यह है कि कानून मंत्री स्वयं एक वकील हैं और वे यह नहीं देख सके कि समग्र अवधि के दौरान निचले न्यायालय और छोटे विवादों के लिए न्यायालय में न्याय के समक्ष बड़ा अवरोध वकील ही बनते हैं। आखिर में तो भोजन करने पर ही पता चलेगा कि भोजन कैसा है। अतः इस कानून से जो होगा उसे देखने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। क्या यह वकील केन्द्री कानून बन जाएगा और क्या यह फरियादी पर ध्यान नहीं देगा या फिर वह न्याय को लोगों के घर के दरवाजे तक ले आएगा?

ग्राम न्यायालय अधिनियम में क्या है?

इस कानून के अनुसार न्याय अधिकारी नामक एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी। राज्य सरकार के कर्मचारियों की सूची में एक और कर्मचारी शामिल होगा और उसे करदाताओं के धन में से वेतन दिया जाएगा। हालांकि, उसकी व्यापक योजना में जातिगत और महिलाओं के लिए उचित मात्रा में आकर्षण दिया जाएगा। प्रथम वर्ग के अदालती मजिस्ट्रेट जितना वेतन दिया जाएगा। तालूका पंचायत के मुख्यालय पर ग्राम न्यायालय की स्थापना की जाएगी। इससे यह अस्पष्ट है कि ग्राम न्यायालय ग्राम पंचायत अथवा समूह ग्राम पंचायत में स्थापित करने की इच्छा होते हुए भी वह तालूका का न्यायालय बनेगा या उससे भी निचले स्तर का न्यायालय बनेगा।

अदालती व्यवस्था में यह सबसे निचले स्तर की व्यवस्था होगी

और इससे दुर्भाग्यवश उसका महत्त्व भी सबसे कम होगा। उसका कार्यक्षेत्र काफी छोटे विवाद और मामूली अपराध के बारे में फैसला देना होगा। दुर्भाग्यवश ऐसा हो सकता है कि निचले स्तर का होने के कारण फरियादी अपनी फरियाद इस तरह पेश करें जिससे न्यायालय की भी अवमानना हो। यदि आरंभ में ऊपरी स्तर के न्यायालय इस ढांचे में नहीं आएं और तालूका अथवा जिला स्तर के बदले ग्राम स्तर पर केस का समाधान करने के लिए आग्रह न रखें तो तो ऐसा बनने की संभावनाएं हो सकती हैं।

ग्राम न्यायालय से ग्राम स्वराज

ग्राम न्यायालय हम सबको गांधीजी के ग्राम स्वराज के विचार के नजदीक ले जाता है। गुजरात में अभी भी इस बारे में जरूरी कानून पास नहीं किया गया है। और इसके कारण गुजरात के न्याय तंत्र में उसे शामिल नहीं किया गया है। फौजदारी और दीवानी दोनों बातों में ग्राम न्यायालय का कार्यक्षेत्र है और इससे यह एक ऐसा स्तर है कि जहां कोई भी विवाद या अपराध को सामूहिक रूप में देखा जाएगा। उसमें समरी ट्रायल के लिए व्यवस्था है और फरियाद के पक्ष में सौदेबाजी की भी व्यवस्था है। अर्थात मैं अपराध स्वीकर करूं तो मेरी सजा कम हो सकती है।

क्या इस कानून के परिणाम स्वरूप तेजी से न्याय मिलेगा, जो केस इकट्ठा हो गए हैं वे निपटेंगे और क्या ग्राम विस्तारों में अधिक बेहतर निगरानी होगी? या फिर न्याय के पहिए में एक और दांता शामिल होगा, क्योंकि यह पहिया शायद ही चलता है?

केस की सुनवाई पूरी होने से १५ दिन में खुले न्यायालय में ग्राम न्यायालय द्वारा फैसला दिया जाएगा। इस फैसले की नकल संबंधित पक्षकारों को भी दी जाएगी। इस अधिनियम में ऐसी व्यवस्था की गई है कि विवादों का अधिक निर्धारित ढांचागत रूप से समाधान हो। ऐसे विवाद ग्राम विस्तारों में अधिक सर्वसामान्य रूप से देखने को मिलते हैं। जैसे, गोचर की ज़मीन और पानी जैसी सार्वजनिक संपत्ति प्राप्ति आदि के विवाद ग्राम विस्तारों में अधिक देखने को मिलते हैं। स्पष्ट है कि इस कानून में गांव को एक समानगुणी इकाई मान लिया गया है और गांव में जो जातिगत भेदभावों की वास्तविकता है उसकी अनदेखी की गई है।

काले कोट और वकीलों का प्रभुत्व जारी रहने की संभावना

इस कानून में सकारात्मक बात यह है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और दीवानी प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की तुलना में इस कानून में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को अधिक महत्त्व दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि कानून वकीलों के प्रभुत्व से बाहर निकलता है और नागरिकों का मित्र जैसा बनता है।

परंतु काले कोट अथवा वकीलों की हाजरी अभी भी कानूनी और स्वीकृत बात है और इस तरह विवादों का शांतिपूर्ण हल लाने के लिए दोनों पक्षकारों द्वारा काम करने वाले बुनियादी ढांचे को यह कानून नष्ट कर देता है। वकील पेशेवर हितधारकों के रूप में वकीलों को यहां भी बनाए रखने की व्यवस्था एक पश्चगामी कदम है।

वास्तव में, आवश्यकता तो यह है कि तीन तालीमशुदा पैरालीगल व्यक्ति न्यायालय की मदद करें और अपने विवाद को उचित रूप से प्रस्तुत करने में पीड़ितों की मदद करें तथा विवाद को समाधान की तरफ ले जाएं। दूसरी तरफ न्यायिक अधिकारियों और उनके आसपास का तंत्र लघु वाद न्यायालय ही बनाएगा। वास्तव में इरादा तो यह था कि ग्रामीण स्तर पर जो विवाद होते हैं उन्हें बुद्धिमत्ता के आधार पर हल किया जाए और उसमें निष्पक्षता भी बनी रहे तथा फिर भी वह भारत के संविधान के कार्यक्षेत्र के अंदर भी हो।

अपील की व्यवस्था

इस कानून में की गई व्यवस्था के अनुसार जहां दंड की रकम १००० रु. से कम हो वहां कोई अपील करने की मंजूरी नहीं दी जाती। ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह का जातिगत मानस है उसमें दंड एक रुपए को हो या एक लाख रुपए का, उसका एक तरह का सामाजिक असर होता है। यह बात सर्वविदित है कि हालांकि इसका प्रयोग अभी शुरू नहीं हुआ है। फौजदारी और दीवानी दोनों प्रकार के केसों में ३० दिन की समयावधि में अपील करनी होती है, सिवाय उन केसों में जिनमें १००० रुपयों की ही सजा दी गई हो।

न्यायतंत्र को चुनौती

ग्राम न्यायालय भारतीय न्यायतंत्र के लिए एक चुनौती होगी। क्या वे गुणवत्ता के साथ न्याय कर पाएंगे, अथवा क्या जितनी मात्रा में केस होते हैं उतनी ही मात्रा में वे फैसले देंगे या फिर एक और लघु वाद न्यायालय बन जाएंगे? लघु वाद न्यायालयों में इस समय ऐसी स्थिति है कि गुनहगार व्यक्ति ज्यादा गुनाह करने की ओर प्रेरित होता है। फरियाद करने वाले व्यक्ति शांति से नहीं जी सकते। क्या इस परिस्थिति में भारत के नागरिकों को आसानी से न्याय मिलने की स्थिति पैदा हो पाएगी? न्याय वास्तव में दिमाग का गुणवत्ता के साथ उपयोग करने की प्रक्रिया है, न्याय अर्थात पीड़ित या फरियादी व्यक्ति को ऐसा लगे कि उसे पूरी तरह सुना जाता है और कोई बिल्कुल अनजान नियमों की पुस्तक उस पर फेंकी नहीं जाती। क्या ऐसा न्याय उसे मिल पाएगा?

भारतीय संस्कृति और कानून का सामुदायिक मूल्य

दुर्भाग्यवश, दक्षिण एशिया के लोग और अंग्रेज सांस्कृतिक रूप से काफी अलग होते हैं। संवाद, दलील और सामान्य बोध सामुदायिक भावना में से कानून के उच्च श्रेणी के पुजारियों के क्लब में न्याय को ले जाने की व्यवस्था से भारत के लोकतंत्र में एक प्रकार का विभक्त मानस पैदा हुआ है।

भारत सांस्कृतिक रूप से सामुदायिक कानूनी व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है और फिर भी यह व्यवस्था संसद की भूलभुलैया में फंस गई है। मैं यहां उस न्याय पंचायत का उल्लेख करता हूं जिसमें दोनों पक्षकारों को बिना वकीलों के सहभागी होने का अधिकार होता है। ऐसा होते हुए भी वे सांस्कृतिक रूप से संलग्न पैरालीगल व्यक्तियों की समुदाय-आधारित सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।

न्यायालय पुरुषों का समरांगण बन गया है और अत्यधिक उकसाने पर ही महिलाएं अपने जोखिम पर उसमें प्रवेश कर सकती हैं व इस प्रकार की परिस्थिति हम नहीं देख सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जहां तक अधिक जोखिम नहीं हो तब तक वे अदालती प्रक्रिया से अपने आप को दूर रखना पसंद करती हैं। इसीलिए न्याय अधिकारी के रूप में कम से कम ५० प्रतिशत महिलाएं होंगी तो यह काफी उपयोगी होगा। इससे भ्रष्टाचार भी कम होने की अपेक्षा रहेगी तथा महिला फरियादियों को सुरक्षित वातावरण भी मिल सकेगा। इस संदर्भ में भारत में २,६५,००० ग्राम पंचायतें हैं तब पंचायती राज में मध्यम स्तर पर ग्राम न्यायालय रखने का जो इरादा है वह अस्पष्ट है।

विविध व्यवस्थाएं

अब हम कानून की तरफ नजर डालें और उसकी महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाएं देखें और यह भी देखें कि ग्रामीण भारत में न्याय प्राप्त करने के लिए क्या वे पूरा अवसर प्रदान करती हैं। अमेरिका के कानून क्षेत्र में अर्जीकर्ता की सौदेबाजी (प्ली बार्गेनिंग) का विचार मौजूद है। इस विचार को इस अधिनियम में शामिल किया गया है। उसमें गुनहगार सौदाबाजी कर सकता है। इसमें ऐसी व्यवस्था होती है कि गुनहगार व्यक्ति गुनाह स्वीकार करके अपनी सजा कम करा सकता है अथवा सजा को दंड की रकम में रूपांतरित करा सकता है। इस कानून में ऐसी भी व्यवस्था की गई है कि जिसे कानूनी सहायता की जरूरत हो उसे दी जाएगी। ऐसी सहायता नामांकित वकीलों की समिति द्वारा करने की भी व्यवस्था की गई है।

ग्राम न्यायालय अधिनियम और आने वाले न्याय पंचायत अधिनियम के संदर्भ में सबसे बड़ी टिप्पणी यह की जाती है कि ग्राम न्यायालय अधिनियम में विवाद के हल में भिन्न मत हैं, उन्हें अधिक महत्त्व दिया गया है और उसके संदर्भ में फैसला होने को महत्वपूर्ण माना गया है। न्याय पंचायत अधिनियम में निर्णायक की व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया गया है और न्यायिक हल लाने को महत्त्व दिया गया है। ग्राम न्यायालय अधिनियम में ऐसी स्पष्ट व्यवस्था की गई है की समाधानकारों की नियुक्ति की जाए। परंतु ऐसा तो तभी हो पाएगा जब वकीलों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और तालीमशुदा एक महिला और एक पुरुष पैरालीगल को हरेक ग्राम न्यायालय में पक्की भूमिका दी जाए। यदि ऐसा होगा तभी लोकतंत्र की एक प्राथमिक संस्था के रूप में कानून की भावना बनी रह सकेगी और उसे समर्थन मिलेगा।

अभी तो ऐसी परिस्थिति है कि यदि मेरे पास पैसा हो तो मैं ऊपरी न्यायालय में जा सकता हूं। गरीब व्यक्ति वहन नहीं कर सकता इसीलिए वह ऊपरी न्यायालय में नहीं जा सकता। इस परिस्थिति

को 'होमो हायरार्किकस' के रूप में जाना जाता है। यह कानून भारत के नागरिकों को इस परिस्थिति में से बाहर निकालने के लिए बनाया गया है।

कार्यवाही

ग्राम न्यायालय अधिनियम में की गई व्यवस्था के अनुसार ग्राम न्यायालय प्रथम अनुसूची के भाग-१ में शामिल तमाम अपराधों और उसी अनुसूची के भाग-२ के तमाम अपराधों के बारे में कार्यवाही कर सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना द्वारा निर्धारित अन्य अपराधों के लिए भी ग्राम न्यायालय कार्यवाही कर सकते हैं। फौजदारी अपराधों के संदर्भ में उसे प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय माना जाएगा और दीवानी केसों के संदर्भ में समय-समय पर राज्य सरकार के साथ परामर्श करके उच्च न्यायालय इन केसों के बारे में कार्यवाही तय कर सकते हैं।

क्यों सरकारें अच्छे और सक्रिय कानूनों पर अमल करने में धीमी गति से चलती हैं? ऐसी धारणा व्यक्त की जा सकती है कि सरकार स्वयं यह चाहती है कि राज्य की १० प्रतिशत आबादी अलग-अलग स्तर पर किसी न किसी केस में फंसी रहे! न्यायालय में लंबित केसों के जो आंकड़े उपलब्ध हैं उन्हें तालिका में दिखाया गया है।

न्यायालयों में लंबित केस जहां तक सरकारों के लिए बहुपक्षीय

न्यायालय में लंबित केसों की संख्या (१.१.२००५ को)

निचले न्यायालय	२,७८,२२,०३०
उच्च न्यायालय	३३,७९,०३०
सर्वोच्च न्यायालय	३०,१५१
कुल	**३,१२,३१,२११**

(स्रोतः सुश्री सी. नित्या, ए युनिक रेमेडी टू रिड्युस बैकलोग इन इन्डियन कोर्ट्स)

दाता संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के मापदंड नहीं बन जाते तब तक इस परिस्थिति में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन आता नहीं लगता है। बिल्कुल मामूली कारणों वाले विवादों के केसों का हल निकालना महत्वपूर्ण है ऐसी गंभीरता जब तक पैदा नहीं होगी तब तक ऐसा होता नहीं लगता है। दुर्भाग्यवश अलग-अलग देशों की सरकारें ऋण पात्रता दिशानिर्देशों के प्रति तो ध्यान देती हैं परंतु सुशासन के दिशानिर्देशों पर पूरा ध्यान नहीं देती।

इस समग्र परिस्थिति को अलग से भी देखा जा सकता है। सरकार सबसे अधिक केस करती है अथवा तो सरकार के विरुद्ध ही सबसे अधिक केस हुए हैं। अर्थात सरकारें स्वयं ही कानूनी उलझन में फंसी हुई हैं। या तो वे स्वयं फरियादी हैं और वे स्वयं को अच्छा लगने वाले न्यायालय के पास न्याय मांग रही हैं अथवा वह सेवाओं के लिए कर चुकाने वाले नागरिकों को जरूरी सेवाएं नहीं दे पा रही उसके लिए नागरिक न्यायालय में फरियाद करते हैं। इस तरह, दोनों तरह से ही केसों के ढेर के लिए सरकार स्वयं जवाबदार है। यहां सरकार का अर्थ तमाम स्तर की सरकारों से है जिसमें केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, महानगरपालिका, नगरपालिका, जिला पंचायत, तालूका पंचायत और ग्राम पंचायतें शामिल हैं।

उपसंहार

यदि ग्राम न्यायालय अधिनियम पर उचित रूप से अमल किया जाए तो नागरिकों को सुशासन में फिर से श्रद्धा हो सकती है। कोई भी राष्ट्र-राज्य का प्राथमिक कर्तव्य यह है कि उसका न्याय तंत्र तीव्र गति से फैसला देने वाला हो। कानून का शासन नागरिकों के लिए आशा भी है और स्वप्न भी है। नागरिक समाज को शामिल करके सकारात्मक प्रक्रिया के रूप में उसे अभियान और आंदोलन के रूप में हरेक जिले में मजबूत कर सकते हैं।

ग्राम न्यायालय अधिनियम लोक सभा और राज्य सभा द्वारा पास किया गया है और गुजरात की विधानसभा द्वारा उसे मंजूरी देना बाकी है। गुजरात सरकार ने अभी भी उसके नियम नहीं बनाए हैं। ऐसा लगता है कि राज्य सरकार के वर्तमान एजेन्डा में वह कहीं भी शामिल नहीं है। ऐसी आशा है कि गुजरात में नागरिक समाज अधिक बेहतर शासन के लिए अपना एजेन्डा बनाएगा।

ग्राम न्यायालय अधिनियम-२००८

भारत की संसद द्वारा ग्राम न्यायालय अधिनियम २००८ में पास किया गया था। उसे ७-१-२००९ को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी और ९-१-२००९ को केन्द्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया है। **श्री हेमन्तकुमार शाह** द्वारा इस समग्र कानून की कई महत्वपूर्ण सिफारिशों को यहां सरल हिन्दी भाषा में प्रस्तुत किया गया है।

यह कानून ग्राम न्यायालयों की स्थापना की व्यवस्था करता है। इसके उद्देश्य इस प्रकार हैं (१) नागरिकों को उनके घर-आंगन में न्याय प्राप्त हो। (२) ऐसा न हो कि सामाजिक, आर्थिक और अन्य अक्षमताओं के कारण किसी नागरिक को न्याय न मिले।

प्रकरण-१

अनुच्छेद-१

(१) यह कानून ग्राम न्यायालय अधिनियम-२००८ है। (२) यह समग्र भारत में लागू होगा। परंतु यह जम्मू-कश्मीर, नागालैन्ड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, यह आदिवासी क्षेत्रों भी लागू नहीं होगा। आदिवासी क्षेत्रों अर्थात संविधान की अनुसूची-६ में वर्णित आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के क्षेत्र। (३) केन्द्र सरकार के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से यह अमल में आएगा। अलग-अलग राज्यों के लिए केन्द्र सरकार अलग-अलग तारीखें तय कर सकती है।

अनुच्छेद-२

इस कानून के अनुसार

(क) ग्राम न्यायालय अर्थात वह न्यायालय जो अनुच्छेद-३ (१) के अनुसार स्थापित किया गया हो।

(ख) ग्राम पंचायत अर्थात स्व-शासन की वह संस्था जिसकी रचना ग्राम स्तर पर संविधान के अनुच्छेद-२४३ख के अनुसार की गई हो।

(ग) उच्च न्यायालय अर्थात

(१) किसी भी राज्य के संदर्भ में उस राज्य का उच्च न्यायालय।

(२) केन्द्र शासित प्रदेश के संदर्भ में जिस उच्च न्यायालय का कार्यक्षेत्र कानून द्वारा तय हुआ हो उसके अनुसार।

(३) अन्य किसी केन्द्र शासित प्रदेश के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त उस प्रदेश के लिए फौजदारी अपील का सर्वोच्च न्यायालय।

(घ) अधिसूचना अर्थात शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना, प्रकाशित (notified) का अर्थ अधिसूचना में प्रकाशित।

(च) न्यायाधिकारी अर्थात अनुच्छेद-५ अनुसार नियुक्त ग्राम न्यायालय के प्रमुख अधिकारी।

(छ) मध्यम स्तर की पंचायत अर्थात तालूका स्तर की पंचायत जिसकी रचना संविधान के अनुच्छेद-२४३ख अनुसार की हो।

(ज) निर्दिष्ट (prescribed) अर्थात इस कानून के तहत बनाए नियमों में वर्णित बात।

(झ) अनुसूची अर्थात इस कानून के साथ जोड़ी गई अनुसूची।

(ट) राज्य सरकार अर्थात केन्द्र शासित प्रदेश के संबंध में संविधान के अनुच्छेद -२३९ के अनुसार नियुक्त प्रशासनिक अधिकारी।

(ठ) जिन शब्दों की व्याख्या यहां नहीं दी गई है उन शब्दों का अर्थ दीवानी प्रक्रिया संहितार-१९०८ और अपराध प्रक्रिया संहिता-१९७३ के अनुसार मानना चाहिए।

प्रकरण-२

अनुच्छेद-३

(१)
- राज्य सरकार ग्राम न्यायालय की स्थापना करेगी।
- इसके लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के साथ परामर्श करेगी।
- तालूका स्तर पर एक या अधिक ग्राम न्यायालय की स्थापना करेगी अथवा जिले में तालूका पंचायतों के समूह के लिए यह ग्राम न्यायालय की स्थापना करेगी।
- जहां तालूका पंचायत नहीं हो वहां ग्राम पंचायतों के समूह के लिए ग्राम न्यायालय की स्थापना करेगी।

- इसके लिए राज्य सरकार अधिसूचना जारी करेगी।

(२) • राज्य सरकार ग्राम न्यायालय के कार्यक्षेत्र अर्थात अपने विस्तार की स्थानीय सीमा तय करेगी।
- इसके लिए वह उच्च न्यायालय साथ चर्चा-विमर्श करेगी।
- इसके लिए राज्य सरकार अधिसूचना जारी करेगी।
- किसी भी समय राज्य सरकार इस सीमा में घट-बढ़ कर सकती है या बदलाव कर सकती है।

(३) इस समय किसी भी कानून के तहत जो न्यायालय स्थापित है उसके अतिरिक्त इस ग्राम न्यायालय की स्थापना होगी ।

अनुच्छेद-४

हरेक ग्राम न्यायालय का मुख्यालय तालूका पंचायत के मुख्यालय अथवा सरकार द्वारा तय स्थान पर रहेगा।

अनुच्छेद-५

- राज्य सरकार हरेक ग्राम न्यायालय में एक न्यायाधिकारी की नियुक्ति करेगी।
- इसके लिए वह उच्च न्यायालय के साथ विचार-विमर्श करेगी।

अनुच्छेद-६

(१) प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की योग्यता वाले व्यक्ति की ही नियुक्ति न्यायाधिकारी के रूप में की जाएगी।

(२) • राज्य सरकार न्यायाधिकारी की नियुक्ति करते समय अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और ऐसे अन्य वर्गों के समुदायों को प्रतिनिधित्व देगी।
- इसके लिए राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचना जारी करेगी।

अनुच्छेद-७

न्यायाधिकारी के वेतन-भत्ते प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट जैसे ही होंगे।

अनुच्छेद-८

- जिस विवाद में वे शामिल हों अथवा विवाद के किसी पक्षकार के साथ उनके संबंध हों अथवा जिसमें उनका हित शामिल हो उस ग्राम न्यायालय की कार्यवाही में न्यायाधिकारी भाग नहीं लेंगे।
- ऐसे मामले में वे उस केस को अन्य न्यायाधिकारी को स्थानांतरित करने के लिए जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय से संपर्क करेंगे।

अनुच्छेद-९

(१) • न्यायाधिकारी अपने कार्यक्षेत्र के गावों का समय-समय पर दौरा करेंगे।
- सामान्य रूप से पक्षकार जहां रहते हैं उसके नजदीक में ही वे केस चलायेंगे।
- अथवा जहां घटना हुई हो उस स्थल के पास केस चलायेंगे।
- यदि ग्राम न्यायालय के मुख्यालय के बाहर मोबाइल कोर्ट का निर्णय लिया हो तो उसके स्थल और समय का व्यापक प्रचार-प्रसार करेंगे ।

(२) राज्य सरकार मोबाईल कोर्ट के लिए वाहन सहित तमाम सहूलियतें प्रदान करेगी ।

अनुच्छेद-१०

उच्च न्यायालय राज्य सरकार की मंजूरी से तय की गई मुहरों का उपयोग हरेक ग्राम न्यायालय में करेगा ।

प्रकरण-३

अनुच्छेद-११

ग्राम न्यायालय दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के केसों में काम करेगा ।

अनुच्छेद-१२

(१) ग्राम न्यायालय किसी शिकायत के आधार पर या किसी पुलिस रिपोर्ट के आधार पर अपराध को ध्यान में ले सकता है और यह - (क) प्रथम अनुसूची के भाग-१ में निर्दिष्ट तमाम अपराधों पर काम करेगा। (ख) प्रथम अनुसूची भाग-२ में समाविष्ट कानूनों में वर्णित अपराधों के बारे में काम करेगा और राहत देगा।

(२) राज्य के कानूनों के तहत समाविष्ट तमाम अपराधों के विरुद्ध ग्राम न्यायालय काम करेगा या राहत देगा।

अनुच्छेद-१३

(१) ग्राम न्यायालय का कार्यक्षेत्र निम्नांकित भी रहेगा:
(क) द्वितीय अधिसूचना भाग-१ में निर्दिष्ट जो विवाद दीवानी स्वरूप के होंगे ऐसे तमाम दावों की कार्यवाहियां।
(ख) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा बताए तमाम प्रकार के दावे और विवाद।

(२) • ग्राम न्यायालय की आर्थिक सीमाएं उच्च न्यायालय तय करेगा।

- इसके लिए वह राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श करेगा।
- इसके लिए समय-समय पर अधिसूचना जारी करेगा।

अनुच्छेद-१४

(१) केन्द्र सरकार को जरूरी लगे तो वह प्रथम अधिसूचना भाग-१ या भाग-२ और द्वितीय अधिसूचना भाग-२ में अधिसूचना प्रकाशित करके बदलाव कर सकती है।

(२) ऐसी हरेक अधिसूचना संसद के हरेक सदन में पेश की जाएगी।

(३) • राज्य सरकार को जरूरी लागे तो यह प्रथम अधिसूचना भाग-१ या भाग-२ और द्वितीय अधिसूचना भाग-२ में बदलाव कर सकती है।
- इसके लिए वह अधिसूचना प्रकाशित करेगी।
- राज्य की विधान सभा जिन विषयों पर कानून बनाने में सक्षम उनमें बदलाव कर सकती है।

(४) ऐसी हरेक अधिसूचना राज्य की विधान सभा में पेश की जाएगी।

अनुच्छेद-१५

(१) लिमिटेशन एक्ट-१९६३ की सिफारिशें ग्राम न्यायालय के तहत तमाम केसों पर लागू होंगी। (२) दीवानी प्रक्रिया संहिता-१९७३ के प्रकरण-३६ की सिफारिशें ग्राम न्यायालय के तहत तमाम अपराधों पर लागू होंगी।

अनुच्छेद-१६

(१) • जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय या इससे निचली अदालतों में बाकी ऐसे तमाम दीवानी या फौजदारी केस ग्राम न्यायालय को स्थानांतरित कर सकते हैं।
- उच्च न्यायालय इसके लिए तारीख तय करेगा।

(२) ग्राम न्यायालय इन मामलों में केस जिस चरण में हो उससे आगे बढ़ सकते हैं अथवा उसमें नए सिरे से कार्यवाही कर सकते हैं।

अनुच्छेद-१७

(१) ग्राम न्यायालय इस कार्य में मदद करने के लिए आवश्यक अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या राज्य सरकार तय करेगी और प्रदान करेगी। (२) ग्राम न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन भत्ते राज्य सरकार तय करेगी। (३) ग्राम न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी न्यायाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गए कार्य करेंगे।

प्रकरण-४

अनुच्छेद-१८

- अपराध प्रक्रिया संहिता-१९९३ की सिफारिशें इस कानून से सुसंगत होंगी तभी वे ग्राम न्यायालय को लागू होंगी।
- इसके लिए ग्राम न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय माना जाएगा।

अनुच्छेद-१९

(१) ग्राम न्यायालय अपराध प्रक्रिया संहिता के अनुच्छेद-२६० (१), २६२(२), २६३, २६४ और २६५ अनुसार अपराधों के बारे में समरी शैली से काम चला सकते हैं।

(२) • जब समरी ट्रायल चलती हो तब न्यायाधिकारी को लगे कि केस समरी शैली से चलाना वांछनीय नहीं है तो वह किसी भी साक्षी को बुला सकता है और उसकी दुबारा सुनवाई कर सकता है।
- इसके लिए अपराध प्रक्रिया संहिता-१९७३ लागू होगी।

अनुच्छेद-२०

- आरोपी ग्राम न्यायालय में प्ली बार्गेनिंग के लिए आवेदन कर सकता है।
- ग्राम न्यायालय उसका हल अपराध प्रक्रिया संहिता के प्रकरण-२१ की सिफारिशों के अनुसार करेगा।

अनुच्छेद-२१

(१) सरकार की ओर से ग्राम न्यायालय में फौजदारी केस हाथ में लेने के लिए अपराध प्रक्रिया संहिता-१९७३ के अनुच्छेद-२५ की सिफारिशें लागू होंगी।

(२) • ग्राम न्यायालय में फौजदारी केस की कार्यवाही में फरियादी अपनी पसंद का वकील रख सकता है।
- इसके लिए फरियादी को खर्च भुगतना होगा।
- इसके लिए ग्राम न्यायालय की मंजूरी लेनी पड़ेगी।

(३) • विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम-१९८७ के अंतर्गत जिस राज्य विधि सेवा प्राधिकरण की रचना की गई है वह वकीलों की सूची बनाएगी।
- इसमें से कम-से-कम दो वकीलों को ग्राम न्यायालय का काम सौंपा जाएगा।

- जो आरोपी वकील नहीं कर सकता हो उसे ग्राम न्यायालय इन दो में से किसी एक की सेवाएं आरोपी को उपलब्ध कराएगा।

अनुच्छेद-२२

(१) न्यायाधिकारी फैसले की घोषणा खुले न्यायालय में केस पूरा होने के बाद तुरंत ही या १५ दिन में करेंगे और उसकी सूचना पक्षकारों को दी जाएगी।

(२) ग्राम न्यायालय तुरंत ही अपने फैसले की नकल दोनों पक्षकारों को निशुल्क देगा।

प्रकरण-५

अनुच्छेद-२३

- दीवानी प्रक्रिया संहिता-१९०८ अन्य किसी कानून की सिफारिशें इस कानून के साथ सुसंगत होंगी तो वे ग्राम न्यायालय की कार्यवाही में लागू होंगी।
- संहिता की इन सिफारिशों के लिए ग्राम न्यायालय दीवानी न्यायालय माना जाएगा।

अनुच्छेद-२४

(१) • इस कानून के तहत किसी भी दावे, विवाद या केस को ग्राम न्यायालय के समक्ष आवेदन करके कर सकते हैं।
- उच्च न्यायालय समय-समय पर राज्य सरकार के साथ परामर्श करके आवेदन का तरीका, इसका स्वरूप और १०० रुपए तक की फीस तय करेगा।

(२) • ग्राम न्यायालय प्रतिवादी को अरजी की नकल भेज कर सम्मन जारी कर सकता है।
- सम्मन में तारीख लिखकर प्रतिवादी को अपने समक्ष उपस्थित रहने के लिए बता सकते हैं।
- उच्च न्यायालय जिस तरह से तय करे उस तरीके से सम्मन प्रतिवादी को भेजा जाएगा।

(३) प्रतिवादी के लिखित निवेदन भेजने के बाद ग्राम न्यायालय केस की सुनवाई की तारीख तय करेगा और तमाम पक्षकारों को उस दिन अपने समक्ष स्वयं या वकील द्वारा उपस्थित होने के लिए सूचित करेंगे।

(४) • सुनवाई की तारीख को ग्राम न्यायालय दोनों पक्षों को सुनेगा।
- ऐसा विवाद जिसमें साक्ष्य को नोट करने की जरूरत न हो तो ग्राम न्यायालय निर्णय दे देगा।
- ऐसा विवाद जिसमें किसी साक्ष्य को नोट करने की जरूरत हो तो ग्राम न्यायालय उस प्रक्रिया में आगे बढ़ेगा।

(५) ग्राम न्यायालय को - (क) किसी क्षति के लिए किसी केस को बरखास्त करने या एकपक्षीय रूप से आगे बढ़ने का अधिकार रहेगा। (ख) किसी क्षति के लिए किसी केस को बरखास्त करने या एकपक्षीय रूप से आगे बढ़ने के आदेश को रद्द करने का भी अधिकार रहेगा।

(६) कार्यवाही के दौरान सामने आई किसी प्रांसगिक बात के बारे में ग्राम न्यायालय को जो प्रक्रिया न्यायी और न्याय के हित में उचित लगे उसे हाथ में ले सकता है।

(७) • व्यवहार्य हो तब तक कार्यवाही न्याय के हितों के साथ सुसंगत होगी।
- केस पूरा न हो तब तक हर रोज सुनवाई की जाएगी।
- ग्राम न्यायालय को जरूरी लगे तो ही वह अगले दिन की तारीख देगा। इसके लिए लिखित में कारण देना पड़ेगा।

(८) केस दाखिल की तारीख से छ माह में ग्राम न्यायालय आवेदन का हल करेगा।

(९) • ग्राम न्यायालय द्वारा सुनवाई पूरी करने के तुंरत बाद या १५ दिन के अंदर खुले न्यायालय में फैसला सुनाया जाएगा।
- इस बारे में पक्षकारों को नोटिस भेजा जाएगा।

(१०) फैसले में केस का विवरण, फैसला देने के मुद्दे और इस बारे में निर्णय तथा इस निर्णय के लिए कारण संक्षेप में देने होंगे।

(११) फैसले की घोषणा की तारीख से तीन दिन में दोनों पक्षकारों को फैसले की नकल निशुल्क दी जाएगी।

अनुच्छेद-२५

(१) • दीवानी प्रक्रिया संहिता-१९०८ में कुछ भी होने पर भी ग्राम न्यायालय का फैसला आदेश माना जाएगा।
- इस पर अमल ग्राम न्यायालय करेगा।
- यह आदेश दीवानी न्यायालय का आदेश माना जाएगा।
- इसके लिए ग्राम न्यायालय को दीवानी न्यायालय की तमाम सत्ता प्राप्त होगी।

शेष पृष्ठ 31 पर

सहभागी बजट प्रक्रिया: ब्राजील की सीख

शासन की प्रक्रिया को विकेन्द्रित, पारदर्शी, सहभागी एवं उत्तरदायी बनाने के प्रयास दुनिया भर में चल रहे हैं। 'उन्नति' के **सुश्री स्वप्नी शाह** एवं **श्री तापस सत्पथी** इस लेख में अपने ब्राजील के दौरे के आधार पर वहां की एक नगरपालिका में बजट बनाने की सहभागी प्रक्रिया का आलेखन किया है। उन्होंने उस सहभागी प्रक्रिया को भारतीय संदर्भ के साथ जोड़ा है एवं वे बताते हैं कि सहभागी बजट प्रक्रिया भारत में मजबूत बनेगी तो वित्तीय वितरण एवं उसके उपयोग को अधिक पारदर्शी एवं उत्तरदायी बना सकते हैं।

संदर्भ

कई अध्ययन यह दर्शाते हैं कि सहभागी बजट प्रक्रियाएं अधिक समतापूर्ण सार्वजनिक खर्च, जीवन की ऊंची गुणवत्ता, बुनियादी जरूरतों की अधिक संतुष्टि, सरकार में अधिक पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व, अधिक जन सहभागिता एवं खास करके पिछड़े अथवा गरीब नागरिकों की सहभागिता तथा नागरिकों के अधिक शिक्षण की तरफ ले जाती हैं।

'लोगोलिन्क इनिशियेटिव' के अंतर्गत २३-३० अप्रैल २००९ दौरान हमने ब्राजील का दौरा किया था। 'नागरिक नेतृत्व के बारे में सीख को प्रोत्साहन: भारत, ब्राजील एवं दक्षिण अफ्रीका के अनुभवों का संकलन' के बारे में यह प्रयास काम करता है। नागरिकों के आंदोलनों एवं स्थानीय शासन के विविध पहलुओं को समझने के लिए यह प्रयास काम करता है। हमने ब्राजील में एम्बु नगरपालिका का दौरा करके यह समझने का प्रयास किया था कि सहभागी बजट प्रक्रिया कैसे की जाती है। इस मुलाकात के दौरान विविध हितधारकों के साथ हमने बातचीत भी की थी। हमारी समझ संपूर्ण नहीं परंतु हमने भारत के संदर्भ में जो कुछ ब्राजील से सीखा था उसे यहां रखने का प्रयास किया है।

ब्राजील में राजनैतिक संगठन

दुनिया की आबादी में ब्राजील का पांचवां नंबर है। उसका क्षेत्र ८५० लाख वर्ग कि.मी. है। उसकी ८१ प्रतिशत आबादी शहरी है। दुनिया का २० प्रतिशत जैव वैविध्य ब्राजील में है। खेती के उत्पादों का धंधा वहां का सबसे अधिक गतिशील व्यापार है।

ब्राजील एक लोकतांत्रिक देश है एवं राष्ट्र प्रमुख देश के प्रमुख तथा संघीय सरकार के प्रमुख के रूप में काम करते हैं। राष्ट्र प्रमुख का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है एवं जिस वर्ष राष्ट्र प्रमुख की अवधि पूरी होती है उसके अक्टूबर माह के प्रथम रविवार को समग्र देश में किया जाता है। पहली जनवरी को राष्ट्र प्रमुख की अवधि शुरू होती है एवं यह चार वर्ष की अवधि के लिए होती है। १६ वर्ष से अधिक की आयु वाले व्यक्तियों के लिए मतदान करना वैकल्पिक है परंतु १८ वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए मतदान करना अनिवार्य है। तीन बार मतदान नहीं करने के लिए नागरिक कारण बता सकता है। परंतु उसके बाद उसका बहाना नहीं माना जाता एवं उसे दंड भरना पड़ता है। राजनैतिक एवं प्रशासन संगठन में विधान सभा, कार्यपालिका एवं न्याय पालिका शामिल है। संघ, संघीय जिलों, राज्यों, कसबों एवं नगरों के बीच स्वायत्तता का सिद्धांत काम करता है। कानून बनाने में विधान सभा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कार्यपालिका प्रशासन के लिए जवाबदार है एवं वह नीतियों तथा कार्यक्रमों पर अमल करता है। नागरिकों, विविध संस्थाओं एवं सरकार के बीच संघर्षों का हल न्यायतंत्र करता है।

कानून बनाने के अतिरिक्त, विधान सभा सार्वजनिक संसाधनों के वितरण एवं उपयोग पर देखरेख रखती है। सीनेटर फेडरेशन की इकाइयों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसी भी क्षेत्र की आबादी कितनी भी हो परंतु हरेक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व सीनेट में एकसा होता है। हरेक राज्य एवं संघीय जिले में तीन सीनेटर होते हैं। अधिकांश कानून चेम्बर ऑफ डेप्युटीज में पेश होते हैं। उसमें आबादी के अनुसार प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं। स्थानीय स्तर पर हरेक शहर में एक मेयर होता है एवं अनेक नगर सेवक होते हैं।

नगर सेवकों के साथ ही मेयर का चुनाव भी होता है। संविधान में शहर, राज्य एवं संघीय स्तर पर निश्चित परिषदों की सिफारिश संविधान में की गई है। ये परिषदें आवासन, स्वास्थ्य, बालकों एवं किशोरों के लिए सामाजिक सहायता आदि जैसी बातों के बारे में कई सार्वजनिक नीतियों के बारे में विचार-विमर्श करने, उस पर नियंत्रण रखने एवं देखरेख रखने का काम करती हैं।

बजट की प्रक्रिया

ब्रजील के १९८८ के संविधान के अनुसार समवायी सरकार सार्वजनिक संसाधनों के खर्च विनियोग के लिए प्राथमिकताएं तय करती है। यह चार वर्ष के समय के लिए किया जाता है। उसे प्लुरी एन्युअल प्लान (पीपीए) के रूप में जाना जाता है। राष्ट्र प्रमुख उसे देश की संसद समक्ष पेश करते हैं। यह योजना लंबी अवधि के कार्यक्रमों एवं वार्षिक बजटों के बीच समन्वय स्थापित करती है। ब्राजील में सहभागी बजट २००१ से बनाए जाते हैं। स्थानीय सरकारों के ढांचे में सहभागिता के अनेक अनुभव हुए हैं एवं वे सरकार के ऊपरी स्तर पर प्रश्न उठाते हैं एवं उन पर प्रभाव डालते हैं। ५६०० में से २५० नगरपालिकाएं इस समय सहभागी बजट की प्रक्रिया कर रही हैं।

सहभागी बजट की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें लोकतंत्र के रूप में विचार-विमर्श होता है एवं निर्णय लिए जाते हैं। नागरिक अपनी मांगे पेश करते हैं तथा प्राथमिकताएं भी पेश करते हैं। वे नगरपालिकाओं द्वारा बजट में जो आवंटन किए जाते हैं उन पर प्रभाव डालते हैं। पूंजी निवेश के बारे में जिन संसाधनों का वितरण होता है उनके बारे में निर्णय करने का काम समुदाय करते हैं। नगरपालिका वार्षिक बजट की ५ प्रतिशत से १५ प्रतिशत रकम के बारे में इस तरह निर्णय लेती है। आबादी का मात्रा एवं गरीबी की मात्रा दोनों के आधार पर यह नर्णिय लिया जाता है। उसमें दो बातें महत्वपूर्ण हैं: (१) विशेष राशि एवं ऋण में से लाभ प्राप्त कराने वाले कार्यक्रमों के लिए निर्धारित उद्देश्यों के लिए वितरण किया गया हो। (२) विविध उद्देश्यों के लिए वितरण हो सकने वाली राशि।

ये दोनों बातें कार्य के खर्च शामिल करने के लिए जो राशि जरूरी है एवं नगरपालिका की ऋण की जवाबदारी जितनी है उस पर भी निर्भर करता है। सहभागी बजट की प्रक्रिया में सामान्य रूप से नीचे के लक्षण देखने को मिलते हैं: (१) समुदाय के सदस्यों द्वारा खर्च की प्राथमिकताएं तय करना। (२) बजट के प्रतिनिधियों का चुनाव इस तरह करना कि विविध समुदायों का प्रतिनिधित्व बना रहे। (३) सरकारी कर्मचारियों द्वारा जरूरी टेक्निकल सहायता प्रदान करना।

सहभागी प्रक्रिया

सहभागी प्रक्रिया में सुव्याख्यायित कामगिरी की पद्धति की जरूरत होती है। नगरपालिकाओं को अपनी परिस्थिति के अनुकूल पद्धतियों का विकास करना होता है। उसमें नीचे की बातों को शामिल करने का प्रयास करना होता है:

(१) शहर के निवासियों के साथ चर्चा करने के लिए नगरपालिका ने अलग-अलग विभागों में बांटना।
(२) अलग-अलग विभागों की मांगे पूरी करने के मापदंड विगतवार तय करना।
(३) लोगों की सहभागिता के लिए मापदंड तय करना।
(४) सहभागिता करने के तरीकों पर विचार करना ।

एम्बु नगरपालिका का अध्ययन

एम्बु नगरपालिका की स्थापना १९५९ में की गई थी। चालू वर्ष में उसकी स्वर्ण जयंती मनाई जा रही है। उसका क्षेत्र ७० व.कि.मी. का है एवं उसकी आबादी २.६० लाख है। एम्बु डोरमिटरी अर्थात धर्मशाला प्रकार का शहर है। लोग अन्यत्र काम करने जाते हैं एवं इस शहर में अधिकतर सोने के लिए आते हैं। एम्बु नगरपालिका लोगों की सहभागिता पैदा करने के लिए काफी सक्रिय है। उसने नागरिक सहभागिता परिषद की रचना की है एवं पालिका आयोजन एवं संचालन परिषद की भी रचना की है। विविध क्षेत्रीय परिषदों के बीच समन्वय रखने के लिए इन परिषदों की रचना की गई है। सहभागी बजट की प्रक्रिया सामान्य रूप से जनवरी माह में शुरू होती है। इस प्रक्रिया का चक्र अगले पेज में दर्शाया गया है।

लोक भागीदारी के लिए प्रादेशिक एवं विषय लक्ष्यी सभाएं

सहभागी बजट की प्रक्रिया में मुख्य बात लोगों की सभाएं हैं।

सहभागी बजट की प्रक्रिया का चक्र

१. संरचना

(क) अगले वर्ष किए जाने वाले वितरण के अमल की समीक्षा करना एवं राशि के वितरण के लिए मापदंडों की भी समीक्षा करना।

(ख) यह तय करना कि आय अर्जन की संभावना एवं खर्च की संभावना कितनी है।

(ग) स्थानीय सरकार लघु, मध्यम एवं दीर्घावधि के अपने हित तय करती है एवं उसे लोगों के समक्ष पेश करती है ।

↓

२. जनमत निर्माण करना

लोगों के साथ सीधा संवाद करने के लिए व्यूह रचना बनाना। जैसे, मासिक समाचार पत्र हरेक घर में भेजना।

↓

३. विभागीय एवं विषयलक्ष्यी सभा (मार्च-मई)

(क) खर्च की प्राथमिकताएं विषयवार तय करना।

(ख) लोगों की सहभागिता के आधार पर प्रतिनिधियों का चुनाव करना।

↓

४. पालिका के प्रतिनिधियों का मंच (जून)

(क) आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आय एवं व्यय के स्थानीय शहरी सरकार के अनुमानों की समीक्षा करना।

(ख) हरेक विषय के अंतर्गत जितना अनुरोध किया जाये उतने पूंजी निवेश के लिए स्थल तय करना एवं पूंजी निवेश की प्राथमिकता तय करना। इसके लिए उस स्थल का दौरा करना।

(ग) तमाम जिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले नगर सेवकों का चुनाव करना। उसमें विभिन्न विषयों को ध्यान में लेना। वे नगरपालिका की बजट परिषद में काम करें।

(घ) हरेक जिले में ये प्रतिनिधि सप्ताह में एक बार या दो सप्ताह में एक बार मिलें एवं टैक्निकल प्रोजेक्ट के मापदंडों तथा जिले की जरूरतों की समीक्षा करें। यह मंच हर महिने मेयर के साथ बातचीत करे एवं पूंजी निवेश की प्राथमिकता की चर्चा करे एवं बजट के अमल के बारे में भी चर्चा करे।

↓

५. बजट के बारे में नगरपालिका की परिषद

(क) परिषद के सदस्य: १३ प्राथमिक प्रतिनिधि, १३ एवजी प्रतिनिधि, ६ सरकारी प्रतिनिधि।

(ख) सूचित पूंजी निवेश को सुसंगत बनाने के लिए के लिए यह परिषद उत्तरदायी है।

(ग) यह हरेक जिले की मांगों को प्राप्य संसाधनों के साथ जोड़ने का काम करती है।

(घ) सितम्बर माह तक पूंजी निवेश बजट पर मतदान होता है एवं उसे मेयर को तथा पालिका को सुपुर्द किया जाता है।

(च) पालिका उसमें सुझाव दे सकती है परंतु बदलाव नहीं कर सकती।

(छ) मेयर को बजट को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार है। वह उस बजट को पालिका की बजट परिषद को वापस भेज सकता है।

निर्णय प्रक्रिया में वे नींव के पत्थर के रूप में काम करती हैं। पारदर्शिता एवं वस्तुलक्ष्यता बनाए रखने के लिए उसका ध्यान खुली मतदान पद्धति द्वारा रखा जाता है। स्थल पर ही मतगणना की जाती है एवं थोक मापदंड का उपयोग किया जाता है। हरेक स्थानीय सरकार का कार्यक्षेत्र अलग-अलग विभागों में बंटा हुआ है एवं इन विभागों के भी उप विभाग बनाए जाते हैं ताकि समुदाय इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले एवं उसकी प्रत्यक्ष सहभागिता हो सके। हरेक उप विभाग में एवं विभाग में सभाएं आयोजित की जाती हैं एवं उसमें तमाम निवासी भाग ले सकते हैं। सहभागियों का पंजीकरण ऑनलाइन किया जाता है एवं उसे कार्ड दिया जाता है। उसका अर्थ यह होता है कि उस क्षेत्र के लोग ही उस क्षेत्र की सभा में भाग ले सकते हैं। उसमें खास कर के कम आय वाले नागरिक, महिलाएं, युवा एवं पिछड़े समूहों को आकर्षित किया जाता है। उसके लिए सभा का स्थल उसके निवास स्थल के नजदीक रखा जाता है एवं वह उस स्थल तथा वहां के वातावरण से परिचित होता है।

सहभागी प्रक्रिया की सफलता लोगों तक पहुंचाने के लिए कितने प्रयास किए गए हैं वह इस पर निर्भर करता है कि इसकी तैयारी के लिए कितनी बैठकें आयोजित की गई थी। जितना समय एवं संसाधन लगाया जाता है उसकी सूचना देने की बैठक को नागरिकों एवं स्थानीय अधिकारियों के बीच विश्वास निर्माण करने की बैठक में रूपांतरित करता है।

विभागीय एवं विषयलक्ष्यी सभाओं के दौरान नागरिक अपनी विषयलक्ष्यी प्राथमिकताएं तय करते हैं एवं आगामी वर्ष के बजट में विविध विकासलक्ष्यी कार्यक्रमों अथवा सार्वजनिक कामों एवं सेवाओं के अंतर्गत उन परियोजनाओं की सूची तैयार की जाती है जिन्हें धन दिया जाना होता है। इन सूचित परियोजनाओं को धन की मांगों अथवा अनुरोध के रूप में देखा जाता है। यह कदम महत्त्वपूर्ण है क्योंकि संसाधनों का वितरण हरेक विषय के लिए मिले मतों की संख्या के अनुसार किया जाता है। जिन तीन विषयों को सबसे अधिक मत मिलते हैं उन्हें समग्र विभाग में प्राथमिक बातों के रूप में माना जाता है। जो विभागीय विषयवार सभाएं आयोजित की जाती हैं उनमें कोई एक सभा अलग-अलग उप विभागों में उन मांगों को संकलित करने के लिए आयोजित की जाती है जिनको मत मिले हों। यह बात परियोजनाओं की प्राथमिकता तय करने के लिए क्षेत्रीय दिशा निर्देश प्रदान करती है। इन सभाओं में सहभागी अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए विषयवार समूह अनुसार प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। सहभागी बजट की प्रक्रिया के चक्र के आगामी चरण के लिए यह बात महत्वपूर्ण है।

पालिका एवं लोगों के बीच बजट के लिए संवाद

(१) जिस किसी विभाग की सभा में स्थानीय सरकार की समग्र टुकड़ी हाजिर रहती हो तभी इस समग्र कवायद का महत्त्व है एवं उसकी जो गंभीरता है उसे व्यक्त करता है। बजट के अनुमानों को पेश करते समय वरिष्ठ अधिकारी हाजिर रहते हैं, संकलन की प्रक्रिया के परिणाम के बारे में प्रस्तुति होती है एवं बजट का मुद्दा पेश होता है वह भी इस समग्र प्रक्रिया की गंभीरता दर्शाता है । सरल एवं स्पष्ट शब्दों में उसकी समझ प्रदान करने के लिए वह सक्षम होता है, जो कुछ टीका-टिप्पणी हो उसे वह सुनता है एवं जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको प्रतिभाव देता है। वे कोई उपदेश नहीं देते। इसके परिणाम स्वरूप नागरिकों में यह भावना पैदा होती है कि यह बजट उनका अपना है। नगरपालिका के साथ उनके संवाद की भूमिका अधिक गुणवत्तापूर्ण बनती है। वरिष्ठ अधिकारी विवादास्पद मुद्दों को एक तरफ रखते हैं एवं ऐसी सभा को वे विक्षेप में नहीं डालते। मतदान की समग्र प्रक्रिया एकदम सरल रूप से एवं नियमों के हिसाब से होती है।

(२) लोगों को सहभागी बनाने के लिए बालकों के लिए मनोरंजन की व्यवस्था की जाती है एवं माता-पिता सभा में भाग लेते हैं।

(३) सहभागी बजट प्रक्रिया का एक सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू यह है कि लोगों को सूचना मिलती है एवं वे उसके लिए निर्णय लेने में सक्षम बनते हैं । जिस किसी क्षेत्र की सभा होती है उससे पहले उस क्षेत्र की जानकारी, उनकी मुख्य समस्याओं, पालिका की साधन सामग्री एवं उस क्षेत्र में से नगरपालिका को प्राप्त होने वाली आय के बारे में जानकारी लोगों के समक्ष पेश की जाती है।

इस मंच में प्रतिनिधित्व का मूलभूत मापदंड सहभागिता है। सभा में जितने लोग हाजिर होते हैं उनके संदर्भ में प्रतिनिधियों की संख्या तय की जाती है। सामान्य रूप से १० या २० सहभागी एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। सहभागी बजट परिषद में भी वे अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं।

पालिका के प्रतिनिधियों का मंच

अलग-अलग विभागों में से निर्वाचित प्रतिनिधि एक मंच के रूप में मिलते हैं। वे विषय की प्राथमिकता के अनुसार धन के अनुरोधों की समीक्षा करते हैं। वे आयोजन, बजट, वित्तीय व्यवस्था आदि जैसे पालिका के विभागों के साथ प्रगाढ़ रूप से मिलकर काम करते हैं। आर्थिक विकास, तात्कालिकता की सामाजिक जरूरतों एवं संस्थागत मांगों के लिए जरूरी प्राथमिकता वाली परियोजनाओ के बारे में पालिका के प्रशासनिक तंत्र द्वारा सुपुर्द किए गए आवेदनों की भी वे समीक्षा करते हैं। तात्कालिकता एवं जरूरतों का आकलन थोक निर्देशकों एवं गाणितीय सूत्रों के आधार पर किया जाता है। इन निर्देशकों के बारे में नागरिकों के पास संपूर्ण सूचना होती है। जिन विभागों को अलग-अलग स्कोर मिला हो उसके बारे में भी प्रतिनिधियों के पास संपूर्ण सूचना होती है। उसका कारण यह है कि प्रतिनिधियों को यह तमाम सूचना दी जाती है।

प्रतिनिधियों को विविध क्षेत्रों एवं समुदायों का दौरा करके स्वयं सूचना प्राप्त करने की जरूरतों का आकलन करने का अवसर सामान्य रूप से प्राप्त होता है। स्थानीय सरकारें ऐसे मंच की मीटिंगों में एवं प्रतिनिधियों की क्षेत्रीय मुलाकातों के बारे परिवहन खर्च उठाती हैं एवं उसके बारे में आयोजन भी करते हैं। उसकी मुख्य जवाबदारी यह है कि वे हरेक विषय के बारे में एवं उसके हरेक उप विषय के बारे में धन के बारे में जो मांगे आती हैं उनका क्रमांकन करे। वे सामान्य रूप से छोटे कार्यकारी समूहों में बंटकर ये कार्य हाथ में लेते हैं। हरेक कार्यकारी समूह हरेक उप विषय पर ध्यान केन्द्रित करता है।

शहर का प्रशासन तंत्र विविध विषयों, उनमें से निकलने वाले उप विषयों एवं कार्यक्रम के क्षेत्रों के अनुसार बजट तैयार करते हैं एवं पेश करते हैं। हरेक विषय को जितने मत प्राप्त हुए हों उसके आधार पर एवं सभा में जिन मांगों की सूची तैयार की जाती है उसके स्वरूप के आधार पर धन का आवंटन बजट में किया जाता है। विकासलक्ष्यी कार्यक्रमों, विविध कार्यों एवं सेवाओं में विविध विषयों के बीच पूंजी निवेश का वितरण किया जाता है। इस या उस विभाग की सभा में उसको जितने मत प्राप्त होते हैं उसके आधार पर धन का आवंटन किया जाता है। हरेक मुख्य विषय के बारे में संसाधनों का जो आवंटन किया जाता है उसके बाद पालिका के

सहभागी बजट प्रक्रिया में जरूरी बातें

(१) नागरिकों की जो टुकड़ी सहभागी बजट की प्रक्रिया में शामिल होती है उस टुकड़ी के पास समुदाय के साथ संपर्क प्रस्थापित करने की कुशलता एवं ज्ञान होना चाहिए। महत्त्वपूर्ण बैठकों में अधिकारियों का व्यवहार संवेदनशील बनाने के पहलू पर भी ध्यान देने की जरूरत होती है।

(२) नगर सेवकों एवं लोगों के प्रतिनिधियों के पास बजट के बारे में उपयुक्त सूचना नहीं होती। इससे वे जिस समझौते के लिए बातचीत करते हैं उसमें अवरोध पैदा होता है। परिणाम स्वरूप नागरिक समाज का क्षमतावर्धन होता है एवं सरकारी प्रतिनिधियों का भी उनके साथ ही क्षमतार्धन हो वह जरूरी है। इसके अतिरिक्त, बजट की प्रस्तुति भी सरल बनानी चाहिए।

(३) लोगों की सहभागिता एवं सरकार के निर्णयों के बीच संतुलन प्रस्थापित करने की भी जरूरत होती है। पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के लिए विविध प्रकार की व्यवस्थाओं एवं तंत्रों को बनाना पड़ता है जिससे बड़ी मात्रा में भाई-भतीजावाद को टाला जा सके।

(४) बजट का अमल हो तब उस पर देखरेख रखने के लिए यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण है कि लोग सक्षम बनें एवं सार्वजनिक खर्च पर देखरेख रखने का काम तथा निरीक्षण करने काम भी लोग करें, उसके लिए एक तंत्र खड़ा करने की जरूरत है।

(५) अत्यंत गरीब लोगों एवं युवाओं का इस समग्र प्रक्रिया में भागीदार होना एक बड़ी चुनौती है। कई बार ऐसा होता है कि मांगें पूरा होने के बाद लोग प्रक्रिया में भागीदार नहीं होते। इसके अतिरिक्त, यदि पालिका के सार्वजनिक कामों में प्रगति धीमी हो तो भी सहभागी हताश हो जाते हैं।

विविध उप विस्तारों के अनुसार आवंटन किया जाता है। उसके लिए ढांचागत सहूलियतें एवं सेवाओं की कमियों तथा किसी सेवा को प्राप्त मतों, दोनों को मिलाकर जो सूत्र बनाया जाता है उसे आधार के रूप में स्वीकारा जाता है। यह कुल मिलाकर बजट का वितरण धन के निवेदन में प्राथमिकताएं तय करने वाली चर्चा में महत्त्वपूर्ण मदद करता है।

भारत का संदर्भ

भारत में सहभागी बजट की प्रक्रिया अधिकांशतया सरकार के प्रयास का ही परिणाम रहा है। यह प्रक्रिया भी कई राज्यों में सीमित रही है। नागरिक समाज के संगठन बजट का विश्लेषण करते हैं एवं बजट की सिफारिशों को समझते हैं तथा समझाते हैं। परंतु शहरी क्षेत्रों में बजट की सहभागी प्रक्रिया अधिकांशतया देखने को नहीं मिलती। ७४वें संविधान संशोधन में अनुसूची-१२ में पालिकाओं द्वारा किए जाने वाले १८ कामों की सूची दी गई है। इस सूची में नगर आयोजन सहित शहरी आयोजन भी पालिकाओं का एक काम है। संविधान की इस सिफारिश के संदर्भ में बजट की सहभागी प्रक्रिया पैदा करने के लिए मुख्य रूप से राजकीय इच्छा शक्ति की जरूरत है। एक बार राजकीय निर्णय लेने के बाद उसके लिए संस्थागत क्षमताओं का विकास करने की आवश्यकता होती है।

भारत के नगरों के प्रशासन का ढांचा एवं पालिका के वॉर्ड का विभाजन आबादी पर आधारित है । अर्थात अलग-अलग वॉर्ड की आबादी की मात्रा के आधार पर ऐसी प्रक्रिया करना आसान बनता है। वॉर्ड के निर्वाचित प्रतिनिधि अपने वॉर्ड में विविध परियोजनाओं के अमल के बारे में सूचना लोगों को देने के लिए सभाएं आयोजित करने की जवाबदारी उन्हें सौंपी जा सकती है। इन सभाओं में सूचित आय कितनी है तथा लोगों की जरूरतें क्या हैं एवं शहर में पूंजी निवेश की प्राथमिकताएं जो-जो हो सकती है उनके बारे में सूचना का भी आदान-प्रदान किया जा सकता है। इस तरह से एक के बाद कदमों का आयोजन किया जा सकता है। बजट के समग्र चक्र में सहभागी बजट की प्रक्रिया एक सतत चलने रहने वाली प्रक्रिया बन सकती है। उसमें नागरिकों को यह विश्वास होना चाहिए कि वे जो प्रयास करते हैं एवं जो समय एवं शक्ति खर्च करते हैं वह बेकार नहीं जाएगा।

बजट बनाने की प्रक्रिया सहभागी बनाने से ही पारदर्शिता बढ़ती है एवं उसके साथ ही स्थानीय सरकार के बजट के बारे में निर्णयों को अधिक लोक स्वीकृति प्राप्त होती है अथवा स्थानीय सरकार की लोक स्वीकृति फिर प्रस्थापित होती है। नागरिकों की जो मांगें गैरवाजिब होती हैं वे मांगें पारदर्शी रूप से टाली जा सकती हैं। पारदर्शिता, प्रस्तुतता एवं वस्तुलक्ष्यता के लिए थोक मापदंड एवं निर्देशक अनिवार्य हैं। बजट में वित्तीय आवंटन के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उसका सार सहभागियों की समझ में आना चाहिए। पालिका के अधिकारी नागरिकों में चर्चाएं होने देना चाहिए। पालिका के प्रशासन तंत्र की भूमिका यह है कि काफी गहराई एवं व्यापक चर्चा करने का वातावरण उसे पैदा करना चाहिए।

प्रशासन तंत्र द्वारा खर्च के वितरण के लिए लेने वाले निर्णयों के सामने लोग सवालो उठाएं तो यह महत्वपूर्ण है कि तंत्र कितनी मात्रा में उसे स्वीकार करने के लिए तैयार है। स्थानीय सरकार के अधिकारियों द्वारा जो प्रस्तुतियां की जाती हैं एवं जिन दस्तावेजों को नागरिकों को दिया जाता है उन दोनों की विगतों का प्रतिबिंब इस वितरण में पड़ना चाहिए। इस संदर्भ में जो निर्णय किए जाते हैं वे महत्वपूर्ण हैं। राजनैतिक नियंत्रण न हो उसके लिए मतदान की खुली पद्धति शुरू की जाए एवं थोक मापदंड अपनाया जाना आवश्यक लगता है। यदि ऐसा हो तो पारदर्शिता पैदा हो सकती है।

सहभागी बजट की प्रक्रिया भारत के लिए अधिक प्रस्तुत है। उसका कारण यह है कि स्थानीय शासन में सहभागी आयोजन एवं संचालन की प्रक्रियाएं सामाजिक समावेश की व्यूहरचना की सफलता के लिए पूर्व शर्त है। यह याद रखना चाहिए कि ऐसी व्यूहरचनाओं में गरीबी निवारण एक महत्वपूर्ण घटक होता है। गरीबों एवं पिछड़े लोगों को स्थानीय शासन में भागीदार होने का अवसर इस तरह मिलता है। हालांकि, निर्वाचित प्रतिनिधियों की कानूनी सत्ताओं या पालिका के अधिकारियों की प्रशासनिक सत्ताओं में मामूली भी कमी नहीं होती।

शेष पृष्ठ 36 पर

शहरी गरीबी निवारणः शासन के प्रश्न

भारत सरकार के समन्वित गृह निर्माण और झोंपड़पट्टी विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अंतर्गत गुजरात के १० नगरों में शहरी गरीबों के गृह निर्माण के लिए किए गए प्रयासों का अध्ययन 'उन्नति' द्वारा किया गया है। 'ईनोविजन कन्सलटिंग' के **श्री सी. पी. जीवन** और 'उन्नति' के **सुश्री एलिस मोरिस** द्वारा अध्ययन का सारांश यहां पेश किया गया है। यह अध्ययन यह बताता है कि शहरी शासन के प्रश्न सत्ता के विकेन्द्रीकरण, सहभागिता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के साथ संबंधित है। इससे ये प्रश्न मात्र विकास के नहीं परंतु शासन की शैली साथ भी जुड़े हुए हैं।

प्रस्तावना

भारत सरकार द्वारा दिसम्बर २००५ में जवाहरलाल नेहरु नेशनल अर्बन रिन्युअल मिशन (जेएनएनयूआरएम) शुरू किया गया। इस मिशन के अंतर्गत समन्वित गृह निर्माण और झोंपड़पट्टी विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के अमल के बारे में 'उन्नति' द्वारा एक अध्ययन हाथ में लिया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत १० छोटे और मध्यम नगरों में यह अध्ययन हाथ में लिया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य झोंपड़ावासियों की स्थिति सुधारना है। इसमें यह निर्धारित किया गया कि आवास एक बड़ी चिंता का विषय है।

जिन १० नगरों में यह अध्ययन किया गया उनकी कुल आबादी २००१ जनगणना के अनुसार ६.४ लाख है। इन नगरों में झोंपड़ावासियों की आबादी लगभग १ लाख है और उनके परिवारों की संख्या लगभग १९,००० है। इस तरह, लगभग १६ प्रतिशत आबादी झोंपड़ों में रहती है। इन नगरों में इस कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं का अमल अलग-अलग चरण पर है। तमाम नगरों में अभिगम में अंतर है, घर के प्रकार में भी अंतर है और अमल और वित्तीय पहलुओं में भी अंतर दिखाई देता है। कार्यक्रम के अमल में सरकार का जो दृष्टिकोण रहा है उसे सामने लाने पर इस अध्ययन में विशेष जोर दिया गया है। दिशानिर्देश यह दर्शाते हैं कि कार्यक्रम का अमल ठीक से हो तो शहरी विकास के संदर्भ में भारी परिवर्तन हो सकता है। ऐसा अनुभव रहा है कि भूतकाल में जब जब शहरी विकास की योजनाओं का अमल किया गया तब-तब झोंपड़ावासियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। इससे उनके मंतव्य और दृष्टिकोण जिस तरह से इस योजना के अमल में प्रतिबिंबित होते हैं उसे जानने का प्रयास इस अध्ययन में किया गया था।

झोंपड़ावासियों के मंतव्यों को जानने के लिए समूह चर्चाएं आयोजित की गई थी। झोंपड़पट्टी के आकार और आबादी के अनुसार एक या अधिक समूह चर्चाएं हरेक क्षेत्र में आयोजित की गई थी। इसमें हरेक में लगभग बराबर संख्या में स्त्रियां और पुरुष हाजिर थे। अध्ययन टुकड़ियों ने सर्व प्रथम नगरपालिका का दौरा किया और झोंपड़पट्टी क्षेत्रों के बारे में प्राथमिक जानकारी प्राप्त की। इस जानकारी के बाद १० नगरों में ५५ झोंपड़पट्टी क्षेत्रों का अध्ययन किया गया। इसके बाद समूह चर्चाएं आयोजित की गई थी। तीसरे चरण में नगरपालिका के मुख्य अधिकारी से मुलाकात की गई थी और प्रश्नावली में उत्तर भरे गए थे। इसके अतिरिक्त, पालिका के अन्य स्टाफ के साथ भी चर्चा की गई थी और विविध स्थलों का दौरा भी किया गया था।

नगरपालिकाओं में अमल

योजना का अमल करने के लिए नगर की पसंदगी जिस तरह से की गई थी उसका विवरण मुख्य अधिकारियों के पास से प्राप्त हुआ था। इसमें यह बताया गया था कि सामाजिक न्याय, स्त्री-पुरुष समानता और मानवीय अभिगम किस तरह अपनाया गया था। इस योजना के अंतर्गत १० नगरों में ८,०१२ घरों को बनाने का आयोजन किया गया था और उनका निर्माण कार्य अलग-अलग स्तर पर है। इसके अतिरिक्त, लगभग ३०० घर उन ग्रामवासियों के हैं जो नगरपालिका का भाग बनने वाले हैं। इस तरह इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल ८३१२ मकान बन रहे हैं। इस तरह से देखें तो हर

समन्वित गृह निर्माण और झोंपड़पट्टी विकास कार्यक्रम क्या है?

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य झोंपड़ावासियों का सर्वांगीण विकास करना है और उन्हें पर्याप्त मात्रा में आवास तथा बुनियादी ढ़ांचागत सेवाएं प्रदान करके शहरी पर्यावरण अधिक बेहतर बनाना है। खासकर नगरपालिका में झोंपड़ावासियों और झोंपड़पट्टियां तय की जाती हैं। उसमें आवास, भौतिक ढांचागत सहूलियतें और सामाजिक ढांचागत सहूलियतें प्रदान करने का उद्देश्य रखा गया है। इसमें झोंपड़पट्टी क्षेत्र में सुधार अथवा झोंपड़ावासियों को अन्य स्थलों पर आवास देने और उसके लिए नए घर बनाना शामिल है।

केन्द्र सरकार इस योजना में ८० प्रतिशत राशि देती है। बाकी की २० प्रतिशत राशि राज्य सरकार, नगरपालिका या अन्य कोई अर्ध-सरकारी संस्था देती है। कम से कम २५ वर्ग मीटर निर्माण कार्य वाला घर देना होता है। उसमें २ खंड और एक रसोईघर तथा शौचालय शामिल होता है। प्रति घर लगभग ८०,००० रु. की लागत रखी गई है।

१०० परिवार पर ४२ घरों को बनाने आयोजन किया गया है। हालांकि, गोंडल में १,७०० घर बनाना है परंतु मात्र ७७५ घर बनाने का विचार किया है। ऐसा लगता है कि झोंपड़पट्टी क्षेत्रों में रहने वाले और बीपीएल परिवारों में से काफी लोगों को लाभार्थियों की सूची में शामिल नहीं किया गया। हिम्मतनगर और गोंडल में झोंपड़पट्टी क्षेत्रों से भिन्न परिवारों का भी समावेश किया गया है। हिम्मतनगर में ३०० घरों को ग्राम पंचायत के परिवारों के लिए आरक्षित किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप १,५९६ में से १,२९६ घर ही शहरी गरीबों को प्राप्त होंगे। हरेक झोंपड़पट्टी क्षेत्र के लिए १०० घर बनाने का आयोजन कई मामलों में गलत मार्ग की ओर चला जाता है क्योंकि ऐसे लोगों का समावेश भी लाभार्थियों में किया गया है जो झोंपड़ावासी नहीं हैं। कुल मिलाकर देखने से ऐसा लगता है कि जिस तरह से आयोजन हुआ है उससे तो लगता है कि मात्र ६० प्रतिशत झोंपड़ावासियों को ही इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। यदि ऐसा मानें कि शहरी गरीबों के लिए ही यह योजना बनाई गई है तो शहरी गरीबो की संख्या को देखते हुए यह अपर्याप्त है। इससे शहरी गरीबों की आवास की वास्तविक जरूरतें पूरी नहीं हो सकती।

घर का प्रकार

इस कार्यक्रम के अंतर्गत ६ नगरों में नए स्थलों पर घर बनाना तय किया गया है। अन्य नगरों में या तो अभी के स्थल पर अथवा नए स्थल पर घर बनाने का विचार किया गया है। सामान्य रूप से ऐसा माना जाता है कि पालिकाएं झोंपड़पट्टियों को अन्य स्थल पर खिसकाने में अधिक उत्सुक होती हैं क्योंकि जमीन के भाव काफी ऊंचे जा रहे हैं। लगभग सभी नगरों में एक मंजिल का मकान बनाना तय किया गया है। ३ नगरों में २ से अधिक मंजिल के मकान बनाना तय किया गया है। जमीन की प्राप्यता के आधार पर यह निर्णय लिया गया लगता है। अधिकांश नगरपालिकाओं ने यह

लाभार्थी का अंशदान

इस कार्यक्रम के दिशा निर्देशों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि घर मुफ्त में नहीं दिया जाएगा। परंतु यह घर झोंपड़ावासियों को वहनीय खर्च में तैयार होना चाहिए। ८०,००० रु. की महत्तम खर्च की मर्यादा तय करने पर भी खर्च बढ़ गया है। यह ९७,००० रु. से १,४४,००० रु. देखने को मिलता है। इस अतिरिक्त खर्च पालिकों अथवा लाभार्थियों को भुगतना होगा। पालिका के पास पैसा नहीं है जिससे लाभार्थी को ही भुगतना होगा। योजना के अनुसार ८,००० रु. लाभार्थी को भुगतने थे। परंतु इस अंशदान की रकम १२,००० रु. से ४१,००० रु. तक है। इस दृष्टि से लाभार्थी का अंशदान १० प्रतिशत से बढ़कर १४ से ३६ प्रतिशत हो गया है। चार नगरों में अभी भी यह तय नहीं हो पाया है कि लाभार्थी के पास से कितना अंशदान लेना है।

हरेक नगर में घर के खर्च और लाभार्थी के अंशदान में फर्क होता है। पालिकाओं ने लाभार्थी द्वारा वहन खर्च को ध्यान में रखकर प्रोजेक्ट की दरखास्त तय नहीं की है। पालिकाओं ने गरीबी की रेखा के नीचे (बीपीएल) रहने वालों की सूची तैयार की है। यह देखने को मिला है कि यदि इनमें से कोई अंशदान देने के लिए तैयार न हो तो जो अंशदान देने को तैयार हो उसे घर देने की नीति पालिकाओं ने अपनाई है।

कार्यक्रम के अंतर्गत घर निर्माण के लिए खर्च, आवंटन तथा लाभार्थी का अंशदान

क्रम	नगर	संख्या	निर्माण खर्च (रुपए)	लाभार्थी का अंशदान (रुपए)	कुल खर्च का अनुमान (रुपए लाख में)	आवंटन (प्रतिशत)	उपयोग (प्रतिशत)
१.	अमरेली	७४२	१,१८,०००	३०,०००	६५३	३२.९३	३४.८८
२.	बोरियावी	६४१	१,३५,०००	बाकी	८३३	१४.८६	अप्राप्य
३.	गोंडल	१७००	१,४४,०००	२०,०००	१०२९	९४.०५	अप्राप्य
४.	हालोल	४४६	१,३९,८६२	१२,०००	६३०	४३.४९	५७.३०
५.	हिम्मतनगर	१२९६	१,०२,६३५	बाकी	१५२०	१७.३६	अप्राप्य
६.	जेतपुर	११३०	१,४२,०००	३०,०००	२३८४	२१.०६	अप्राप्य
७.	खंभात	६१८	१,३७,९००	बाकी	८४४	२७.८५	अप्राप्य
८.	प्रांतिज	४४९	९७,०००	२५,०००	५५८	१७.२०	६.२५
९.	ऊंझा	६२४	१,१३,५००	४०,१०९	९४०	३३.१९	१००
१०.	उपलेटा	३९६	१,११,१८६	बाकी	५०३	३४.५२	अप्राप्य
	कुल/औसत	**८०१२**			**९८९४**	**३१.९७**	

विचार नहीं किया लगता है कि अपार्टमेन्टों को संचालन और निभाव कैसे होगा। नगरपालिका द्वारा बुनियादी नागरिक सुविधाएं दी जाएंगी परंतु ध्यान नहीं दिया गया कि इनका प्रबंध कैसे होगा।

अमल की स्थिति

१० नगरों को इस कार्यक्रम के अमल के लिए अंशदान की रकम में से मात्र ३२ प्रतिशत रकम प्राप्त हुई है। जिन चार नगरों में से रकम के उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकी है वहां अलग-अलग परिस्थितियां विद्यमान हैं। ऊंझा में १०० प्रतिशत, अमरेली में ३५ प्रतिशत, हालोल में ५७ प्रतिशत और प्रांतिज में ६ प्रतिशत रकम का उपयोग हुआ है। यह अंतर यह दर्शाता है कि अलग-अलग नगरों में अमल की परिस्थिति अलग-अलग है। हिम्मतनगर और खंभात में प्रोजेक्ट वर्क की शुरूआत भी अभी तक नहीं हुई है। १० में से ५ नगरों में लाभार्थियों के पास से अरजी मंगाना ही बाकी है। जबकि मात्र ३ नगरों में लाभार्थियों के चयन का काम चल रहा है। हिम्मतनगर और खंभात में जमीन की चयन हो गया है। हालांकि, वहां भी जमीन अधिग्रहण करने का काम अभी बाकी है। ऊंझा में बहुमंजिले मकान बनाने का काम लगभग पूरा हो गया है। जबकि हिम्मतनगर और खंभात में वह अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है।

पात्र परिवारों द्वारा आवेदन करने और आवेदनों की जांच करने का काम काफी धीमे चल रहा है। मात्र हिम्मतनगर और ऊंझा में आवेदन प्राप्त करने, उन्हें एकत्र करने उनके चयन करने काम चालू है। १,२९६ घरों के सामने कुल ३,०३२ आवेदन प्राप्त हुए हैं। ऊंझा में ६०० परिवारों के आवेदनों में से ४५० परिवारों का चयन किया गया है। उसमें से ४०० परिवारों ने अंशदान की रकम १०,००० रुपयों की पहली किश्त चुका दी है। प्रांतिज में नंदनवन योजना के अंतर्गत विशेष धनराशि प्राप्त होने से तालाब को सुंदर बनाने की परियोजना शुरू की गई है। नगरपालिकाओं के प्रमुख अधिकारियों और प्रमुखों ने यह बताया कि नगरों में पर्याप्त मात्रा में जमीन प्राप्य है परंतु झोंपड़ावासियों को हटाने के लिए जिन जमीनों का चयन किया गया है वे नगरों के बाहर ही हैं। अधिकांश झोंपड़ावासी परिवार रोज कमाते रोज खाते हैं और वे घर से काम करने के स्थल के लिए ज्यादातर पांच मिनिट के समय में पहुंच जाते हैं। इस कारण से दूर या नए स्थल पर झोंपड़ावासियों जाने के लिए तैयार होंगे या नहीं यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर नगरपालिकाओं ने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया।

समुदाय की सहभागिता

सभी नगरों के प्रमुख अधिकारियों ने यह बताया कि झोंपड़ावासियों

कार्यक्रम के अमल की स्थानीय स्थिति

अध्ययन में शामिल १० नगरों में से जिन ५५ झोंपड़पट्टी क्षेत्रों का सर्वे किया गया था उनमें से शहरी स्थानीय संस्थाओं ने २५ झोंपड़पट्टी क्षेत्रों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया था। १७ क्षेत्रों का समावेश इस कार्यक्रम में नहीं किया गया था। जबकि १३ क्षेत्रों के बारे में अभी निर्णय करना बाकी है। २५ झोंपड़पट्टी क्षेत्रों में से ५ क्षेत्रों में आधुनिकीकरण के लिए आयोजन किया गया था। जिन २५ झोंपड़पट्टी क्षेत्रों शामिल किया गया था उनमें २६६८ घर थे। उसमें से १६८० परिवार गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करते थे।

हालांकि, मात्र १३ झोंपड़पट्टी क्षेत्रों में इस कार्यक्रम के बारे में कुछ-कुछ जानकारी थी। कई परिवारों ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ लेने के लिए आवेदन किया था। इसके लिए कुछ परिवारों के ही इस कार्यक्रम की जानकारी नहीं थी यह स्पष्ट नहीं होता। अधिकांश झोंपड़पट्टी क्षेत्रों में इस कार्यक्रम के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। जिन क्षेत्रों में आधुनिकीकरण करना तय किया था उस क्षेत्रों में लोगों को भी इस योजना के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। आधुनिकीकरण की योजना के बारे में भी वे कुछ भी नहीं जानते थे। उन्हें यह भी जानकारी नहीं थी कि उनको इससे क्या लाभ होगा। समूह चर्चा के दौरान कई लोगों ने कहा कि आवास के बारे में किसी योजना की उन्हें जानकारी है। ११ झोंपड़पट्टियों में से कुछेक लोगों ने अपने आवेदन दिए हैं। सभी १० नगरों में इस योजना के लाभार्थियों को झोंपड़पट्टी क्षेत्रों में से और अन्य क्षेत्रों में से तय किया गया है । जिन नगरों में खास झोंपड़पट्टी क्षेत्र तय किए गए हैं उनके सिवाय अन्य लायक परिवारों की पसंदगी भी हो सकती है । परंतु इस बारे में मामूली भी जागृति नहीं थी । ११२ समूह चर्चाएं आयोजित की गई थी और उसमें २१७० सहभागियों ने भाग लया था । उनसे यह जानकारी प्राप्त हुई है । कई सहभागियों ने इस समूह चर्चा के दौरान यह भी बताया गया कि उन्हें पता था कि नगरपालिका द्वारा कोई सर्वे कराया जा रहा है परंतु उन्हें यह खबर नहीं थी कि यह सर्वे किस लिए कराया जा रहा है ।

के साथ किस तरह से विचार-विमर्श किया गया था। परंतु उनके साथ चर्चा करते हुए यह जानने को मिला था कि वे अधिकांशतया वे जानकारी देने में पर्याप्त मर्यादित रहे थे। उसमें योजना के बारे में चर्चा नहीं कि गई थी या फिर विकल्पों के बारे में विचार नहीं किया गया था। नागरिक समाज के संगठनों या समुदाय-आधारित संगठनों शायद ही झोंपड़पट्टी क्षेत्रों के प्रश्न उठाते हैं। अभी तक किसी भी चर्चा में ऐसे किसी संगठन को शामिल नहीं किया गया है।

पालिका के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई थी और कई मामलों में इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिन झोंपड़पट्टी क्षेत्रों को शामिल किया गया था उनका दौरा नगर सेवकों ने किया था। इस तरह से देखें तो संभावित लाभार्थियों को समग्र कार्यक्रम में भागीदार करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया। १० में से ५ नगरों में यह जानने को मिला था कि उन्होंने स्थानीय अखबारों में इस कार्यक्रम के बारे में सार्वजनिक सूचना दी थी। ऊंझा में झोंपड़पट्टी क्षेत्रों में चोपन्ने बांटे गए थे और रिक्शों तथा बसों पर विज्ञापन भी लगाए गए थे।

चार नगरों में इस कार्यक्रम के प्रचार के लिए अभी तक कुछ नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप, कार्यक्रम दिशा निर्देश अनुसार कोई सहभागी प्रक्रिया हाथ में नहीं ली गई। प्रमुख अधिकारियों ने ऐसा मत व्यक्त किया था कि लाभार्थी शायद अपना अंशदान नहीं दे सके थे। कइयों ने यह भी कहा कि शहरी गरीबों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत मिलने वाला घर वहन नहीं कर सकेगा।

यदि धन की व्यवस्था न की जाए तो झोंपड़ावासियों के लिए इस योजना का लाभ लेना असंभव लगता है। फिर भी, अभी तक के अमल की समीक्षा करने या वित्तीय व्यवस्था करने की तात्कालिकता नहीं लगती। लगभग तमाम नगरों में कुछेक अधिकारियों के हाथ में इस योजना का अमल रहा है। शहरी गरीबों के प्रति मानवीय अभिगम अपनाने के लिए दिशा-निर्देश के बावजूद उनकी सहभागिता

शेष पृष्ठ 31 **पर**

गतिविधियाँ

विकास पुरस्कार प्रदत्त

'आगाखां ग्राम समर्थन कार्यक्रम - भारत' और 'डेवलपमेन्ट क्रेडिट बैंक' के चेयरपर्सन श्री नासर मनजी ने स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों तथा ग्रामीण नागरिकों को एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा था कि 'विकास क्षेत्रों में शामिल सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्वैच्छकि संस्थाओं को वर्तमान मंदी के समय में सादगी, मिलकर और भागीदारी से काम करने का तरीक अपनाना पड़ेगा और वैसे अपनी मूल बातों और मूल्यों की तरफ वापस लौटना पड़ेगा'। प्रकृतिक संसाधनों के संरक्षण के क्षेत्र में उमदा योगदान करने वाली संस्था - संगठन को ग्राम विकास पुरस्कार तथा व्यक्ति को फेलोशिप प्रदान करने के इस कार्यक्रम का आयोजन 'डेवलपमेन्ट सपोर्ट सेन्टर' (डीएससी) द्वारा किया गया था ।

भूतपूर्व सनदी अधिकारी और ग्राम विकास के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान करने वाले श्री अनिलभाई शाह की स्मृति में यह पुरस्कार हर वर्ष एक संस्था और स्थानीय स्तर के संगठन को प्रदान किया जाता है। वर्ष २००८ के पुरस्कार 'श्री म. ग. पटेल सर्वोदय केन्द्र - अमीरगढ़' को संस्था के रूप में, ग्राम संगठन का प्रथम पुरस्कार सुरेन्द्रनगर जिले के चोटिला तालुका के मोकासर गांव के संगठन को एवं महेसाणा जिले के सतलासणा तालुका के कुबडा गांव को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष २००८ की ग्राम विकास फेलोशिप विकासलक्ष्यी पत्रकार और 'चरखा' के संयोजक संजय दवे को प्रदान किया गया।

'डीएससी' द्वारा आयोजित इस सातवें ग्राम विकास पुरस्कार वितरण समारोह में स्वैच्छिक संस्था के कार्यकर्ताओं, सरकारी अधिकारियों, ग्राम संगठन के प्रतिनिधियों और मीडिया कर्मियों सहित २०० से अधिक लोगों ने भाग लिया था । समारोह के दौरान पुरस्कार चयन समिति के अध्यक्ष श्री सुदर्शनभाई आयंगर न बताया कि 'संसाधनों के व्यवस्थापन के बारे में ग्रामीण लोगों की सहज बुद्धि के कारण गुजरात में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बारे में उल्लेखनीय कार्य हुआ है।' समारोह के दौरान, अनिल शाह अध्ययन ग्रंथ: 'पहल और पुरुषार्थ' का लोकार्पण प्रसिद्ध साहित्यकार श्री भोलाभाई पटेल के कर कमलों से हुआ था। भोलाभाई ने पुस्तक के बारे में अपना प्रतिभाव देते हुए कहा कि 'पुस्तक को स्पर्श करने से ऐसा लगता है कि मानो अनिलभाई के स्पर्श का अनुभव हो रहा हो। अनिलभाई बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे और मनुभाई पंचोली 'दर्शक' जैसे समर्थ साहित्यकार भी उन्हें मित्र के रूप में आदर देते थे।'

समारोह के दौरान पुरस्कार के विजेताओं ने सम्मान के बारे में अपनी भावनाए व्यक्त की और अपनी विकासलक्ष्यी प्रवृत्तियों का संक्षिप्त विवरण दिया। समारोह के दौरान 'पहल और पुरुषार्थ' पुस्तक के संपादक और प्रसिद्ध साहित्यकार श्री मनसुखभाई सल्ला, अनिलभाई सुपुत्री श्री पल्लवीबहन और 'डीएससी' के निदेशक श्री सचिनभाई ओझा ने प्रासंगिक उद्‌बोधन किए थे।

'खबर लहेरिया' को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार

यूनेस्को का किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार - २००९ उत्तर प्रदेश के गैर-सरकारी संगठन 'निरंतर' के प्रोजेक्ट 'खबर लहेरिया' को दिया गया है। इस पुरस्कार को रिपब्लिक ऑफ कोरिया द्वारा सहयोग मिला है। यही पुरस्कार अफ्रीका के देश बुर्किना फासोना एक अवैधिक शिक्षण कार्यक्रम को दिया गया है। उसका नाम है तीन तुआ। उत्तर प्रदेश में चल रहे 'खबर लहेरिया' प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक ग्रामीण पाक्षिक अखबार चलाया जाता है। यह अखबार महिलाओं द्वारा समग्र रूप से संपादित और प्रकाशित किया जाता है और उसका वितरण भी उनके द्वारा ही किया जाता है। लगभग २०,००० नवसाक्षर पाठकों में उसका वितरण होता है। नव साक्षर महिलाओं को तालीम देने का काम इस अखबार द्वारा किया जा रहा है जिसके पीछे उद्देश्य यह है कि उन्हें जानकारी प्राप्त हो और उस तरह से सूचनाप्रद चयन करने का लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त करें। अधिकतर यह अखबार समाज की निम्न जातियों की महिलाओं

श्री दीप जोशी को रेमन मेग्सेसे पुरस्कार

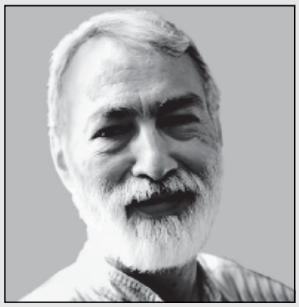

एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाने वाला प्रतिष्ठित रेमन मेग्सेसे पुरस्कार, २००९ भारत के अग्रणी कार्यकर्ता श्री दीप जोशी को प्रदान करने की घोषणा ३-८-०९ को की गई थी। इस वर्ष श्री दीप जोशी एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें रेमन मेग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। ग्रामीण समुदायों के विकास के लिए बुनियादी काम करने के लिए उन्हें यह पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई थी।

रेमन मेग्सेसे एवोर्ड फाउन्डेशन के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा फिलिपीन्स की राजधानी मनीला में जारी एक अखबारी विज्ञप्ति में बताया गया था कि भारत में गैर-सरकारी संगठनों के आंदोलन में व्यावसायिकता लाने में उनकी दृष्टि और नेतृत्व ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है और ग्रामीण समुदायों के विकास में बुद्धि और हृदय का असरकारक संयोजन करने में वे सफल रहे हैं।

उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में १९४७ में जन्मे श्री दीप जोशी अमेरिका से एमबीए और एमई की उपाधियां प्राप्त की थी। १९८३ में उन्होंने अपने कई साथियों के साथ प्रोफेशनल असिस्टेन्स फोर डेवलपमेन्ट एक्शन (प्रदान) की स्थापना की थी। यह संस्था देश भर में युनिवर्सिटी के प्रांगण से युवाओं की भरती करते हैं और उन्हें एक वर्ष की तालीम स्थानीय स्तर के कार्य के लिए प्रदान करते हैं। श्री जोशी बताते हैं कि, 'नागरिक समाज को बुद्धि और हृदय दोनों की जरूरत होती है यदि आपका हृदय रोता हो तो उससे कोई काम नहीं होगा। यदि आपके पास केवल बुद्धि ही होगी तो भी आप मनुष्य के हृदय को स्पर्श करने वाले हल प्रदान नहीं कर सकते।'

'प्रदान' विकासलक्ष्यी पेशेवरों को तालीम देने का काम करता है और ग्रामीण गरीबी दूर करने का काम भी करता है। भारत के सबसे गरीब राज्यों में लगभग ३००० गांवों में करीब १.७० लाख परिवारों की गरीबी कम करने में इस संस्था ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लगभग १००० स्नातक उनकी तालीम में शामिल हुए हैं।

के द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

समुदाय-संचालित विपत्ति के जोखिम में कमी और जलवायु में परिवर्तन के बारे में वैश्विक परिषद

अफ्रीका के मालावी देश में लिलोंगवे में ८ से १२ जून २००९ के दौरान समुदाय संचालित विपत्ति जोखिम में कमी और जलवायु में परिवर्तन के बारे में प्रथम वैश्विक परिषद का आयोजन कोर्डऐड दाता संस्था द्वारा किया गया था। इस परिषद में 'उन्नति' से दो कार्यकर्ताओं को भेजा गया था। इस परिषद में अलग-अलग देशों के अनुभवों को पेश किया गया था। खासकर जलवायु में परिवर्तन के कारण पैदा हुई विपत्तियों के असर समुदाय की सहभागिता से जिस तरह से दूर हो सकते हैं उन पर इस परिषद में ध्यान केन्द्रित किया गया था। २०१५ तक हासिल किए जा सकने वाले विकासलक्ष्यी एजेन्डा भी इस परिषद में तैयार किए गए थे। इस परिषद ने अंत में जो घोषणा स्वीकार की थी उसका सारांश इस प्रकार है:

यहां निम्नांकित बातों पर ध्यान दिया गया है:

१. जलवायु में परिवर्तन के असर और विपत्ति का जोखिम अपने समय के मानव की सुरक्षा, पर्यावरणीय और विकासलक्ष्यी जैसी सबसे तात्कालिक चुनौतियां हैं और वे गरीबी, अन्न की असुरक्षा, अनिवार्य स्थलांतर, एड्स का फैलाव और संघर्षों को नियंत्रण से बाहर करती हैं।

२. जलवायु में परिवर्तन के मुख्य कारणों में विकास के गैर-टिकाऊ तरीके, सत्ता का दमनकारी ढांचा और उपभोक्तावादी जीवन शैली शामिल है।

३. जलवायु में परिवर्तन के प्रश्न के बारे में दुनिया भर में अज्ञानता फैली हुई है तथा उसके असर के बारे में भी जानकारी नहीं है। समुदाय-संचालित विपत्ति के जोखिम में कमी एक व्यूहरचना के रूप में नहीं स्वीकारी जाती।

४. वास्तव में, परिवर्तन के वाहकों के रूप में, देशज व्यवहारों तथा ज्ञान और कौशल के धारकों के रूप में समुदाय अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। वे अपने विकास और विपत्ति के समय में प्रतिकार के लिए महत्त्वपूर्ण कारक बल बन सकते हैं।

५. जलवायु में परिवर्तन के क्षेत्र में समुदाय-संचालित विपत्ति के जोखिम में कमी विपत्ति के निवारण में और मानव सर्जित जोखिमों में कमी में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। विपत्ति

श्री प्रेम चड्ढा का अवसान

पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एशिया (प्रिया) के संस्थापक और १९९३ से २००९ दौरान उसके निदेशक मंडल के अध्यक्ष श्री प्रेम चड्ढा का ४-३-२००९ को अवसान हो गया। १९३२ में जन्मे श्री चड्ढा को उसी दिन दिल्ली में एस्कोर्ट्स् हार्ट इन्स्टिट्यूट में एन्जियोग्राफी के लिए दाखिल किया गया था परंतु कुछ हो सके उससे पहले ही उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया।

श्री प्रेम चड्ढा ऐसे कोर्पोरेट पेशेवरों में एक थे जिन्होंने स्वैच्छिक संगठनों के लिए अपनी कार्यकाल को जोखिम में डाला था। सर्व प्रथम उन्होंने बताया था कि स्वैच्छिक संगठनों के संचालन को मजबूत बनाने के लिए प्रिया को प्रयत्न करना चाहिए। इस विषय के बारे में १९८५ में 'प्रिया' द्वारा सर्व प्रथम कार्यशाला आयोजित की गई थी उसके पीछे यही कारक मुख्य था। वे एक अनुशासित पेशेवर थे। गुणवत्ता और निष्ठा के उच्चतम मानदंडों के वे आग्रही थे। वे ऐसा मानते थे कि गैर-लाभकारी संगठनों में सर्जनात्मकता और सहभागिता के लिए औपचारिक व्यवस्थाएं अनिवार्य हैं।

उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था और विभाजन के बाद भारत में आए थे। लगभग ४० वर्ष के कार्यकाल के दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल में जूट के कारखाने, दिल्ली में द स्टेट्समेन, इन्डियन एरलाइन्स में और इन्जिनियर्स इन्डिया लि. में काम किया था। उन्होंने भारत के स्वैच्छिक क्षेत्र को व्यूहात्मक सलाह प्रदान की थी। उन्होंने विभावनालक्ष्यी स्पष्टता को प्रोत्साहन दिया था, नेतृत्व के विकास को प्रोत्साहन दिया था और नीतिलक्ष्यी चयन के समय मार्गदर्शन दिया था। संगठनात्मक श्रेष्ठता और मानव कामगीरी के बारे में उन्होंने १९९१ में अपनी निवृत्ति के बाद तीन पुस्तकें लिखी थी। पिछले ३० वर्षों के दौरान 'प्रिया' के लिए वे प्रेरणा के स्रोत के समान थे। 'उन्नति' की व्यवस्था और ढांचा बनाने में भी श्री प्रेम चड्ढा ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। परम कृपालु परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।

के जोखिम में कमी एक प्रवेश बिंदु है जिसमें समुदायों को परिवर्तन के लिए प्रेरित कयिा जाता है।

६. पिछड़े समूहों को विपत्ति के जोखिम में कमी करने की प्रवृत्ति में शामिल करना काफी महत्त्वपूर्ण है और उसमें महिलाओं शामिल करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
७. सभी राष्ट्र और हरेक व्यक्ति जलवायु में परिवर्तन के प्रभावों का खत्म करने में नैतिक कर्तव्य निभाना जरूरी है।

उपरोक्त बातों को स्वीकार करके इस घोषणा में निम्नांकित महत्त्वपूर्ण मुद्दों को बताया गया है:

१. जलवायु में परिवर्तन और विपत्तियां विकास के गैर-टिकाऊ तरीकों का परिणाम है। इसका सबसे अधिक असर गरीबों पर होता है और वही सबसे अधिक असहाय है। इसीलिए समुदाय-संचालित विपत्ति जोखिम में कमी को व्यूह रचना के रूप में अपनाकर इस समस्या का सामना करने के लिए वैश्विक स्तर पर कार्यलक्ष्यी योजना बनानी चाहिए।
२. जलवायु में परिवर्तन और जोखिम में कमी को विकासलक्ष्यी प्रश्न माना चाहिए। तमाम हितधारक जलवायु में परिवर्तन के अनुकूल बनें तथा उसके विपरीत असरों का निवारण करने के लिए सर्वग्राही प्रयास करना जरूरी है। जोखिम में कमी करके समाज के पिछड़े वर्ग को सुरक्षा का अधिकार प्राप्त कराने के लिए उन्हें बुनियादी सेवाएं मिलना आवश्यक है।
३. विपत्ति की पूर्व चेतावनी की व्यवस्था में समुदायों की आवाज और उनका ज्ञान और उनकी कुशलता को स्वीकार करने की जरूरत है। उसके लिए व्यवस्थित दस्तावेजीकरण हो तथा हिमायत और कार्य होने वाले कदम उठाने चाहिए।
४. जलवायु में परिवर्तन के बारे में लंबी अवधि की चेतावनी, उसके असर और उसके कारणों के बारे में जागृति अभियान चलाया जाए तथा उसके लिए शिक्षण और तालीम के कार्यक्रमों को प्रोत्साहन दिया जाना आवश्यक है जिससे समुदाय विविध नीतियों के बारे में जानकार बने।
५. ज्ञान का संचालन और परिवर्तन, संशोधन, दस्तावेजीकरण और क्षमता निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त हो इस तरह से संसाधनों का संकलन करना चाहिए।
६. जलवायु में होने वाले परिवर्तन के असर कम हों और जोखिम

श्री स्मितु कोठारी का अवसान

गैर-सरकारी संगठनों और शेष जगत के संवाद को प्रोत्साहन देने वाले लोकायन समूह द्वारा प्रकाशित 'लोकायन बुलेटिन' के संपादक श्री स्मितु कोठारी का २३-३-०९ को ५९ वर्ष की आयु दिल्ली में हृदय रोग के कारण दुःखद अवसान हो गया। वे कोर्नेल युनिवर्सिटी और प्रिन्स्टन युनिवर्सिटी के अतिथि प्राध्यापक थे। उन्होंने इन्टरनेशनल ग्रुप फॉर ग्रासरूट्स इनिश्येटिव्स के प्रमुख के रूप में तथा द ईकोलोजिस्ट और डेवलपमेन्ट पत्रिकाओं के संपादक के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। समकालीन आर्थिक और सांस्कृतिक विकास, प्रकृति, संस्कृति और लोकतंत्र के बीच संबंध, विकास के परिणाम स्वरूप होता विस्थापन, लोगों का शासन और सामाजिक आंदोलनों जैसे विषयों के बारे में उन्होंने काफी लेखन कार्य किया था।

श्री स्मितु कोठारी पर्यावरणीय न्याय, लोकशाही शासन, मानव अधिकार और शांति तथा पर्यावरणीय चिरंतनता के प्रति गंभीर प्रतिबद्धता रखते थे। वे स्थानिक स्तर के जन आंदोलनों के बीच संवाद, हिमायत और संकलन पैदा करने में शामिल थे। सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक आंदोलनों का स्थानीय और वैश्विक पहलुओं के बीच सेतु बनाने का विशिष्ट गुण उनमें था।

वे यह मानते थे कि २१वीं सदी में लोकतंत्र और शासन के बारे में पुनर्विचारणा और पुनर्जांच के लिए सामाजिक आंदोलनों में गुंजायश है। श्री स्मितु कोठारी वोलन्टरी एकशन नेटवर्क इन्डिया (वाणी) का विचार दिया था जो आज भारत में जन-आंदोलनों और लड़ाइयों को समर्थन और प्रेरणा देती है। परम कृपालु परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।

कम करने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल टेक्नोलोजी के लिए धन उपलब्ध हो और प्राकृतिक संसाधनों के चिरंतन उपयोग के लिए सामुदायिक प्रयासों को समर्थन मिलना जरूरी है।

७. जलवायु में परिवर्तन के असरों के संदर्भ में सामाजिक सुरक्षा के लिए विविध अभिगमों को अपनाया जाए तथा जीवन निर्वाह और आय अर्जन, बचत, बीमा और टेक्नोलोजी के लिए विविध प्रकार की व्यूहरचनाएं अपनाना भी अनिवार्य है। उसमें बरसाती पानी का संग्रह जैसी सरल टेक्नोलोजी भी शामिल हैं।

८. हर स्तर पर नेटवर्किंग अनिवार्य है। समुदाय, सरकार और अन्य हितधारक साथ मिलकर हल खोजें और सब हितधारकों का मिलकर प्रयास करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है और उसमें पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व बना रहना चाहिए।

सूचना अधिकार कानून में संशोधन के लिए विचार

भारत सरकार सूचना अधिकार कानून में संशोधन करने पर विचार कर रही है। ८.७.२००९ को एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में संसदीय मामलों के राज्य मंत्री ने बताया था कि इस संशोधन के उद्देश्य दो प्रकार के हैं:

(१) कानून की धारा-२४ के अनुसार द्वितीय अनुसूची में जिन संगठनों की सूची दी गई है उसकी समीक्षा करना।

(२) गैर-व्यूहात्मक क्षेत्रों में सूचना की अधिक घोषणा के लिए सरकारी अधिकारियों के लिए नियम बनाना।

मंत्री श्री पृथ्वीराज चौहान द्वारा यह बताया गया था कि गैर-सरकारी संगठनों ने इस संशोधन के संदर्भ में भारत सरकार के समक्ष कई शंकाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने यह कहा था कि सूचित संशोधनों के बारे में गैर-सरकारी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से संपर्क किया जाएगा। इन संशोधनों की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है।

गैर-व्यूहात्मक क्षेत्रों में सूचना की घोषणा के लिए जो विचार पेश किया गया है वह इस वर्ष जून माह में संसद की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति ने जो भाषण दिया था उसमें समाविष्ट मुद्दा था। सूचना अधिकार कानून की धारा-४(१)(बी) अनुसार १७ क्षेत्रों में स्वैच्छिक रूप से सूचना की घोषणा करने की सिफारिश की गई है। ये क्षेत्र, राज्यों और केन्द्र दोनों को लागू पड़ते हैं। परंतु इन दोनों स्तरों पर इन क्षेत्रों के बारे में सूचना की घोषणा के लिए उचित कदम नहीं

सुश्री नीराबहन देसाई का अवसान

नारी मुक्ति आंदोलन की अनुभवी पुरस्कर्ता सुश्री नीराबहन देसाई २५-६-२००९ को ८३ वर्ष की आयु में अवसान हो गया। वे पिछले कई महिनों से केन्सर से पीड़ित थे। नारी अध्ययन एवं नारी आंदोलन के क्षेत्र में उन्होंने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया था। १९५० के दशक में जब नारी अध्ययन एक विद्याशाखा के रूप में इतना प्रचलित नहीं था तब उन्होंने १९५७ में भारतीय समाज में स्त्री जीवन के बारे में एक अनुसंधान पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक द्वारा उन्होंने भारत में नारी अध्ययन और अनुसंधान की आधार शिला रखी थी। मुंबई की एसएनडीटी युनिवर्सिटी के देश के सर्व प्रथम नारी अध्ययन केन्द्र की वे संस्थापक निदेशक थी। उन्होंने इन्टरनेशनल सोश्योलोजिकल एसोसिएशन के पदाधिकारी के रूप में भी कार्य किया था। वडोदरा के वीमेन्स रिसर्च सेन्टर सहित अनेक संस्थाओं के सलाहकार बोर्ड में उन्होंने सेवाएं प्रदान की थी।

सुश्री नीराबहन देसाई ने महिलाओं के दर्जे के बारे में बनी समिति के प्रतिवेदन 'समानता के मार्ग पर' तथा स्वरोजगार प्राप्त महिला आयोग के प्रतिवेदन 'श्रमशक्ति' तैयार करने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महिलाओं के विविध प्रश्नों और नारी आंदोलनों के बारे में उनके अनेक अनुसंधान और लेख गुजराती तथा अंग्रेजी में प्रकाशित हुए हैं। उनकी आखरी पुस्तक 'फेमिनिज्म एज एक्सपिरियन्सः थोट्स एन्ड नेरेटिव्ज' में उन्होंने आजादी के आंदोलन से समकालीन आंदोलन के साथ जुड़े गुजरात और महाराष्ट्र के कार्यकर्ता महिलाओं के विचारों और अनुभवों का निचोड़ पेश करता है। परम कृपालु परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।

उठाए गए तब अब ऐसा कहा जा सकता है कि उसमें ज्यादा क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी।

वास्तव में तो, इन क्षेत्रों में सरकारों द्वारा अपने आप घोषणा करने के लिए असरकारक कदम उठाया जाना अधिक आवश्यक है। ऐसी सिफारिश की गई है कि इस धारा की उप-धारा-१७ में ऐसे अन्य क्षेत्रों के लिए सूचना की घोषणा सरकारें अपने आप कर सकती हैं। इससे यदि सरकारों को वास्तव में सूचना की घोषणा करनी हो तो कोई अवरोध ही नहीं है। इससे इस तरह के सुधार के परिणाम स्वरूप कोई हेतु पूरा होता नहीं लगता।

कानून की धारा-२४ में अनेक संगठनों को इस कानून की सिफारिशों से अलग रखा गया है। इस सूची में २२ संगठनों को शामिल किया गया है। मंत्री ने बताया कि अब उसकी समीक्षा किया जाना है। राज्य सरकार द्वारा इस धारा का दुरुपयोग किया जाता है इस हकीकत को भुलाया नहीं जा सकता। वास्तव में, इस सूची में किसी बात की कमी करना या उसमें कुछ शामिल करना हो तो उसके लिए सूचना अधिकार कानून में सुधार करने की जरूरत ही नहीं है। यदि राजपत्र में घोषणा की जाए तो वह बदलाव आसानी से हो सकता है। कई राज्य सरकारों ने धारा-२४ के अंतर्गत अनेक क्षेत्रों का समावेश कर दिया है कि जिसे देश की सुरक्षा या गुप्तचर संगठनों के साथ कुछ लेना देना नहीं है। इस तरह सूचना छुपाने के लिए राज्य सरकारें हमेशा प्रयत्न करती हैं। ऐसे प्रयत्न न हों उसके लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता है।

मंत्री द्वारा यह बताया गया कि गैर-सरकारी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ यह संशोधन करने से पहले विचार-विमर्श किया जाएगा। यह एक अच्छी बात है क्योंकि अनेक गैर-सरकारी संगठन इस कानून का उपयोग करके सरकार को अधिक पारदर्शक बनाने के लिए नागरिकों को सक्षम बनाने का कार्य किया है। सरकार ने जो जवाब दिया है उसे पक्का माना जा सकता है। इससे राज्य सभा की साक्ष्य समिति द्वारा इस साक्ष्य पर देखरेख रखी जाए और वास्तव में विचार-विमर्श किया जाए या ध्यान में लेने की संभावनाएं जरूर रहती हैं।

यद्यपि इस तरह की बातचीत गैर-सरकारी संगठनों के साथ और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ कब की जाएगी यह अभी स्पष्ट नहीं है। आशा रखें कि भारत सरकार शासन व्यवस्था को अधिक

भारत के धर्मार्थ एवं स्वैच्छिक क्षेत्र पर प्रत्यक्ष कर कोड विधेयक (बिल) २००९ के प्रारूप का प्रभाव

स्वैच्छिक क्षेत्र के एकतरफा नवीनतम प्रयोग में १२ अगस्त, २००९ को वित्त मंत्री प्रत्यक्ष कर कोड बिल लेकर आए हैं। भारत के सभी स्वैच्छिक संगठनों को लागू इस नियमावली का शुरूआती अवलोकन एक बहुत ही निराशाजनक भविष्य दर्शाता है। एक तरफ सरकार आम आदमी को अच्छे जीवन का वादा करती है तो दूसरी ओर देश वित्तीय मंदी व फसलों के बरबाद होने के कारण चुनौतिपूर्ण चरण से गुजर रहा है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो सरकार का साथ देते हुए उपेक्षितों एवं गरीबों के लिए कार्य कर रहे हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। नए प्रत्यक्ष कर कोड बिल २००९ में प्रस्तावित प्राथमिक परिवर्तनों की सूची स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए विपरीत प्रभावों वाली लगती है तथा दीर्घ अवधि में इसकी वित्तीय दीर्घ कालिकता एवं उत्तरजीवीतिता को क्षति पहुंचा सकती है।

इस क्षेत्र की स्वतंत्र आवाज होने कारण वाणी ने सरकार, नीति निर्माताओं, मीडिया और जनता के सामने चिंता को प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है। प्रसिद्ध कर सलाहकारों के सुझावों के आधार पर निम्नांकित बातें दी गई है। हम यह अपील इसलिए भेज रहे हैं कि बदलाव व प्रभाव डालने के लिए उचित कार्यवाही की जाए। यह अभी भी एक विधेयक है जिसे संसद के अगले सत्र में पेश किया जाना है। इसके पास होने पर हम सबको २०११ से आय कर देना होगा। वित्तमंत्री ने जनता से प्रतिभाव मांगें हैं एवं इसकी अंतिम तिथि ३० सितम्बर,२००९ है।

कुछ प्रारंभिक बातें इस प्रकार हैं जिनसे विपरीत परिवर्तन होंगे जो इस क्षेत्र के परिचालन को प्रभावित कर सकते हैं:

१. यह कोड अलाभ के रूप में परिचालित सभी संगठनों पर लागू होगा जिसमें प्रतिष्ठान, एन.जी.ओ., अनुसंधान एवं पैरवी संगठन, धर्मार्थ चिकित्सालय आदि शामिल हैं। भले ही आप सुदूर गांवों में उपेक्षितों को स्वास्थ्य या जीविकोपार्जन संबंधी सेवाएं प्रदान कर रहे हों, या अनुसंधान आधारित पैरवी कर रहे हों, जागरूकता के लिये लोकप्रिय प्रकाशन प्रकाशित कर रहे हों, सामुदायिक पहल को दीर्घकालिकता प्रदान करने के लिए नाम मात्र की प्रयोक्ता फीस ले रहे हों। दुर्भाग्यवश यह कोड बड़े लोक न्यासों (बंदरगाह व धार्मिक) और छोटे संगठनों को एक श्रेणी में रखता है।

२. एन.जी.ओ. एक वर्ष की बची हुई राशि को बिना उस पर १५% कर दिए अगले वर्ष नहीं ले जा सकेंगे। यह बहुवर्षीय अनुदानों पर लागू होता है वे दीर्घावधि परियोजनाओं के लिए धन अलग या संग्रह नहीं कर सकेंगे। आय-व्यय का हिसाब केवल नगद आधार पर ही रखा जाएगा। हममें से कुछ को जनवरी में धन मिलता है उन्हें मार्च तक खत्म करना होगा या कर देना होगा। अर्थात ३१ मार्च को बचे एक-एक पैसे पर कर देना होगा।

३. भारत में संचालित अधिकांश दाता संगठनों के लिए अनुदान देना और कठिन हो जाएगा। यह कोड इन एजेंसियों को भारत से बाहर जाने पर या अन्य विकासशील देशों से कार्य करने को बाध्य करेगा। यह सरकार से प्राप्त धन पर भी लागू होगा जो भारत से द्विपक्षी के कारण पहले से ही वंचित हो रहा है।

४. यद्यपि एक वर्ष के अधिशेष पर कर लगा जाएगा एन.जी.ओ. के लिए पिछले वर्ष के घाटे को आगे ले जाना और अधिशेष के सामने उसे समायोजित करना कठिन होगा। अतः यदि आप एक परियोजना के लिए उधार लिए धन को खर्च करते हो तो जब अगले वर्ष वास्तव में अनुदान प्राप्त होगा तब आपको कर देना होगा। नए कर कोड से बचने के लिए कई एन.जी.ओ. को अनैतिक साधनों को अपनाना होगा और अपने खातों में दर्शाना होगा और इस तरह धन का दुरुपयोग होगा। इससे उन पर अधिशेष नहीं दर्शाने का दबाव होगा और खातों में छल-कपट करने के लिए बाध्य करेगा। इससे लेखा प्रबंध के लिए लेखाकारों की एक नई नस्ल तयार हो जाएगी।

५. धर्मार्थ उद्देश्य कि संकल्पना को अनुमत कल्याण गतिविधियों से बदल दिया गया है। इससे अभिगम के नवप्रवर्तन और लचीलेपन में कमी हो सकती है। क्योंकि अनुमत की संकल्पना लाइसेंस राज की बू देती है। अनुमत कल्याण गतिविधियां

सरकारी अधिकारियों द्वारा निर्धारित की जाएगी। यह कर कोड सरकार (व आय कर, पुलिस, व अन्य संबंधित मंत्रालयों) को एन.जी.ओ. के संचालन के निरीक्षण का निर्बाध अधिकार देता है। अत एन.जी.ओ. की स्वायत्तता दांव पर होगी, हर समय आइटीओ यह निर्धारित करेगा की आपकी गतिविधि अनुमत है या नहीं है।

६. आनुषंगिक व्यवसाय गतिविधियों पर और प्रतिबंध लादे जा रहे हैं। उदाहरण के लिये धन उगाहने के लिए कोई एन.जी.ओ. बधाई कार्ड बेचता है तो वह ऐसा तभी कर सकता है जब वे लाभार्थियों द्वारा बनाए गए हों।

७. ३५ एसी के अंतर्गत अनुमति (दाताओं के लिए १००% छूट) बंद जा रही है। एन.जी.ओ. अपने दाताओं को अधिकतम ५०% छूट दे सकते हैं।

आप इस आंदोलन का हिस्सा कैसे बन सकते हैं।

- आप अपने चार्टरित लेखापाल से चर्चा कर सकते हैं कि यह नया कोड आपकी संस्था को किस तरह प्रभावित करेगा। एक नोट तैयार करके वित्त मंत्री को भेजें।
- इस नोट की एक प्रति वाणी को भेजें (info@ vadniindia.org)। हम आपकी अपीलों को इकट्ठा करके वित्त मंत्रालाय को भेजेंगे।
- प्रत्यक्ष कर कोड विधेयक २००९ के प्रारूप पर जागरूकता अभियान चलाएं और अपने हिताधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर सक्रिय बहस करें।
- अपने स्थानीय सांसद को प्रतिवेदन भेजें। उन्हें संसद में प्रश्न पूछने के लिए अनुरोध करें।
- अपने सहयोगियों/सदस्यों को यह इस सूचना को बताएं ताकि वे स्थिति की गंभीरता को समझ सकें। उन्हें अभियान में साथ देने को कहें।

संगठन अपने कार्यों पर पड़ने वाले प्रभावों पर अपने विचार वित्त मंत्रालय की वेब साइट http://finmin.nic.in/DTCode/index.html; http://finmin.nic.in/DTCode/query.aspindex.html पर दे सकते हैं और श्री प्रणब मुखर्जी, माननीय वित्त मंत्री, कमरा नं.१३२-सी, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-११०००१, फोन ०११-२३०९२८१०, २३०९२५१०, फैक्सः२३०९३२८९, ई-मेलः pkm@sansad.nic.in को लिख सकते हैं।

वोलंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी), बीबी-५, पहली मंजिल, ग्रेटर कैल्श एन्कलेव- नई दिल्ली-११००४८, फोनः०११-४१४३५५३६,२९२२८१२७, फैक्सः०११-४१४३५५३५, ई-मेलः info@vadniindia.org, वेब साइटः www.vaniindia.org

पारदर्शक बनाने के लिए अधिक बेहतर कदम उठाएगी और प्रस्तावित संशोधन इस दिशा में होंगे।

श्री गिरीशभाई पटेल का सम्मान

गुजरात के प्रसिद्ध मानव अधिकार कार्यकर्ता गिरीशभाई पटेल द्वारा ७५ वर्ष पूरे करने के अवसर पर अहमदाबाद में १०.५.२००९ को टाउन हॉल में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। इस समारोह के अध्यक्ष के रूप में गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री ए. पी. रवाणी और उपाध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति श्री आर.ए. मेहता उपस्थित थे।

मजदूरों, दलितों, महिलाओं, आदिवासियों और उपेक्षित तमाम लोगों के मानव अधिकारों के लिए श्री गिरीशभाई अदालतों में लड़ते रहे हैं। १९७० के दशक से उन्होंने लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के लिए लड़ाई इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपात काल के दौरान शुरू की थी। लोक अधिकार संघ के झंडे के तले न्यायी समाज बनाने के लिए श्री गिरीशभाई पटेल ने अनेक प्रयास किए थे। वे अहमदाबाद के सिटी लॉ कॉलेज के आचार्य पद और गुजरात विधि आयोग के सदस्य के रूप में भी काम कर चुके हैं।

उन्होंने गुजरात उच्च न्यायालय में और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में हमेशा आदिवासियों, दलितों, महिलाओं पर अत्याचारों, विकास के नाम पर आदिवासियों के विस्थापन और झोंपड़पट्टी के नाश के समय उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कानूनी लड़ाई लड़ी थी और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रयास किए थे। स्थापित हितों के विरुद्ध लड़ाई में वे एक दंत कथा के समान बने हैं।

संदर्भ सामग्री

सार्क डेवलपमेन्ट गोल्स

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग मंडल (सार्क) में ७ देश शामिल हैं

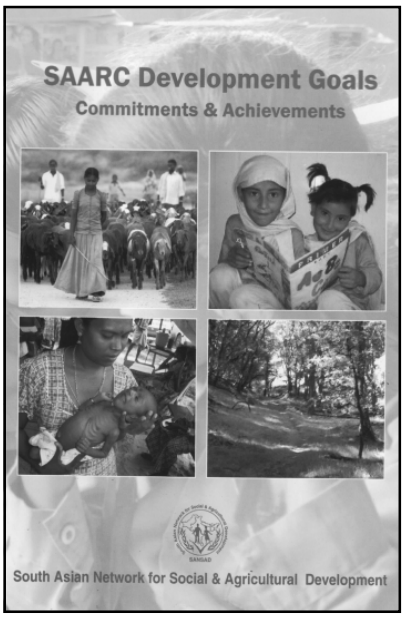

अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इन देशों के विकास के लिए लक्ष्यांकों को इस पुस्तक में दिया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि इस सदी के आरंभ में 'संयुक्त राष्ट्र' (यूएन) द्वारा सहस्राब्दी विकास लक्ष्यांकों (मिलेनियम डेवलपमेन्ट गोल्स) तय किए गए थे। १८९ देशों के प्रतिनिधियों ने इन लक्ष्यांकों को तय किया था। अधिकांश लक्ष्यांकों को २०१५ तक पाने का तय किया गया था।

उसमें खासकर के गरीबी और भुखमरी का अंत, महिलाओं का सशक्तिकरण, बाल मृत्यु दर में कमी, सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षण, चिरंतन पर्यावरण आदि विषयों में तय लक्ष्यांकों को शामिल किया गया था।

इस पुस्तक में यह चर्चा की गई है कि इन लक्ष्यांकों को सार्क के ७ देश कैसे हासिल करेंगे। इन तमाम लक्ष्यांकों को अभी तक सभी ७ देशों में कितना प्राप्त किया है और बाकी किस तरह पूरा कर सकते हैं इसकी चर्चा इस पुस्तक के ९ प्रकरण में की गई है। आखरी प्रकरण में मुख्य निष्कर्ष दिए गए हैं।

अन्न, वस्त्र, आवास, शिक्षण और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतें किस तरह जल्दी से पहुंचा सकते हैं उसकी व्यूह रचना भी उसमें दर्शाई गई है। आखिर में जो परिशिष्ट दिया गया है उसमें सहस्राब्दी विकास लक्ष्यांकों के संदर्भ में १९९० से २००७ के दौरान चरणवार जो उपलब्धि प्राप्त हुई है उसकी सांख्यिकीय जानकारी दी गई है।

प्राप्ति स्थानः साउथ एशियन नेटवर्क फॉर सोशल एन्ड एग्रिकल्चरल डेवलपमेन्ट, एन-१३, दूसरी मंजिल, ग्रीन पार्क एक्सटेन्शन, नई दिल्ली ११० ०१६ . फोनः ०११-४१६४४८४५, ४१७५८८४५. ई-मेलः sansadasia@gotmail.com वेबसाइटः www.sansad.org.in स्वैच्छिक अंशदानः २५० रु.

महिलाओं का भू-स्वामित्व

पिछले कुछ समय से ऑक्सफाम इन्डिया द्वारा अपनी सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर महिलाओं की जमीन की मालिकी के संदर्भ में प्रयास शुरू किए गए हैं।

इन प्रयासों में राजस्थान के फलौदी, बीकानेर, बाड़मेर, जयपुर और जोधपुर क्षेत्र की स्थानीय संस्थाओं ने भाग लिया था। दलित

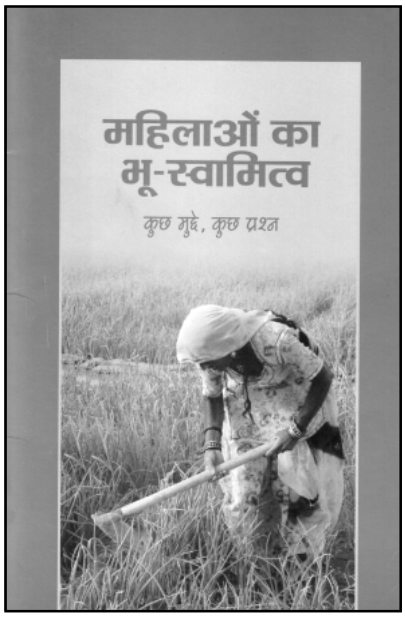

संगठन और दलित अधिकार अभियान द्वारा महिलाओं की जमीन मालिकी के प्रश्नों के बारे में पश्चिमी राजस्थान में पिछले एक वर्ष से काम शुरू किया था। दलित अधिकार अभियान दलित महिलाओं और पुरुषों का एक मंच है।

उन्नति - विकास शिक्षण संगठन, जोधपुर द्वारा इन स्थानीय संगठन और

समुदायों का क्षमतावर्धन करने भूमिका अदा की गई थी। स्वैच्छिक संस्थाओं दलित संदर्भ केन्द्रों और अभियान द्वारा महिलाओं की जमीन मालिकी के कई प्रश्न उठाए गए थे। उसमें से कई में सफलता प्राप्त हुई और कुछ के लिए प्रयास चालू हैं। क्षेत्रीय कार्यकर्ता महिलाओं के साथ बातचीत करके उनकी कहानियों का दस्तावेजीकरण करने का प्रयत्न किया है।

यह पुस्तिका इस दस्तावेजीकरण के प्रयास का परिणाम है। पुस्तिका में पिता की संपत्ति में पुत्र का अधिकार, विधवा महिला का समाज और प्रशासन तंत्र के साथ संघर्ष और जमीन के वास्तविक हक के लिए निर्णय लेने की भूमिका आदि बातों से संबंधित १८ मामले शामिल हैं। इन तमाम मामलों को स्थानीय स्तर पर काम करने वाली संस्थाओं के कार्यकर्ताओं ने लिखा है।

प्राप्ति स्थानः उन्नति - विकास शिक्षण संगठन, ६५०, राधाकृष्णपुरम, लहेरिया रिसोर्ट के नजदीक, पाल-चोपासनी बाई-पास लिंक रोड, जोधपुर, राजस्थान। फोनः ०२९१-३२०४६१८. ई-मेलः unnati@datainfosys.net

बिल्डिंग कोम्युनिटी रेसिलियन्स ऑन ड्राउट

पश्चिमी राजस्थान में थार रेगिस्तान में ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या एक स्थाई समस्या है। घर अधिकतर दूर-दूर तक फैले होते हैं। उनके पास अधिकांशतया पानी के स्थाई सार्वजनिक स्रोत ही होते हैं। दलित समुदाय को जाति के कारण भी पानी प्राप्त करने में भारी मुसबीत का सामना करना पड़ता है। उनके पासे जमीन काफी कम है और वे कर्ज के जाल में फंसे होते हैं। प्राकृतिक संसाधनों की मालिकी उनके पास नहीं होती और राज्य के विकासलक्ष्यी कार्यक्रमों से उनको लाभ भी प्राप्त नहीं होता। वे आकस्मिक, सीमांत अथवा भूमिहीन मजदूर हैं। स्थलांतरित मजदूर भी सामान्य रूप से जोखिमी और शोषणखोर प्रवृत्तियों में जुड़े होते हैं।

इन क्षेत्रों में ऐसे सामाजिक और आर्थिक रूप से असहाय समूहों को सक्षम बनाने के लिए ऑक्सफोम इन्डिया द्वारा सहभागी संगठनों के साथ मिलकर समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रमनी शुरूआत २००० में की गई थी। २००४ से इस कार्यक्रम में पानी की कमी और अकाल के समय में असहायता कम करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया था। उसमें तीन बातों में मध्यस्थता करने का विचार किया गया था:

(१) पीने के पानी के स्रोतों को बढ़ाना।
(२) खेत वनीकरण को प्रोत्साहन देना।
(३) गोचर भूमि का विकास।

इन तीनों प्रकार के कामों में पिछले चार वर्ष के दौरान जो प्रगति हुई है उसका विवरण इस पुस्तक में दिया गया है। इस कार्यक्रम में राजस्थान के ६ गैर-सरकारी संगठनों ने भाग लिया था। इस समग्र प्रयास में अन्न, घास-चार और पानी की सुरक्षा पैदा करने की बात मुख्य स्थान पर रही है। सामाजिक रूप से न्यायी, सांस्कृतिक रूप से योग्य, पर्यावरण की दृष्टि से चिरंतन और आर्थिक दृष्टि से वलतरजन्य व्यवस्था बनाने का प्रयास किय गया था।

इस प्रयास के परिणाम और उसमें से जो सीख प्राप्त हुई है उसे पुस्तक में दिया गया है । गरीबों के पास जो कौशल है वह बढ़े और गरीबी दूर करने के उनके अवसर बढ़े इन दोनों के बीच का समन्वय महत्त्वपूर्ण है और यह इस प्रयास से पता चला है। इस समग्र कार्यक्रम में कई गावों का दौरा किया गया था और अलग-अलग समुदायों के साथ चर्चा की गई विविध प्रवृत्तियों की प्रक्रियाओं और परिणामों के बारे में उनके मंतव्य जानने को मिले थे। इस पर भी जोर दिया गया था कि जो भी प्रवृत्ति की गई उसमें महिलाओं की सहभागिता हो और तकनीकी-सामाजिक दृष्टिकोण जानने को मिले।

इस प्रक्रिया में पिछड़े समुदायों, गांव के अन्य समुदायों लोगों की

संस्थाओं, पंचायतों और समर्थन देने वाले संगठनों जैसे हितधारकों को शामिल किया गया था। इस पुस्तिका से जानने को मिलता है कि यह प्रक्रिया कैसे हुई, उसका क्या परिणाम आया और उसमें से क्या सीख मिली।

प्राप्ति स्थानः उन्नाति, जोधपुर, राजस्थान। फोनः ०२९१-३२०४६१८, ई-मेलः unnati@datainfosys.net

पब्लिक इन्टरेस्ट लिटिगेशन एन्ड द पूअर इन गुजरात

यह पुस्तक गुजरात के प्रसिद्ध मानव अधिकार कार्यकर्ता श्री गिरीशभाई पटेल द्वारा लिखी गई है। १९७५ से लोक-अधिकार संघ द्वारा गुजरात उच्च न्यायालय में विविध मानव अधिकारों के बारे में द्रष्ठु जन हित याचिकाएं दायर की गई हैं उनका विवरण देने के साथ इस पुस्तक में इन अधिकारों की रक्षा कैसे हो सकती है और अदालतें उसमें कैसी भूमिका निभाती हैं तथा निभा सकती हैं उसका विश्लेषण किया गया है।

इस पुस्तक की मुख्य दलील यह है कि गरीबी की समस्या एक अधिकार का प्रश्न है। अर्थात जीवन जीने का अधिकार एक सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्राप्त करने का संवैधानिक आधार है यह दलील इस पुस्तक में दी गई है।

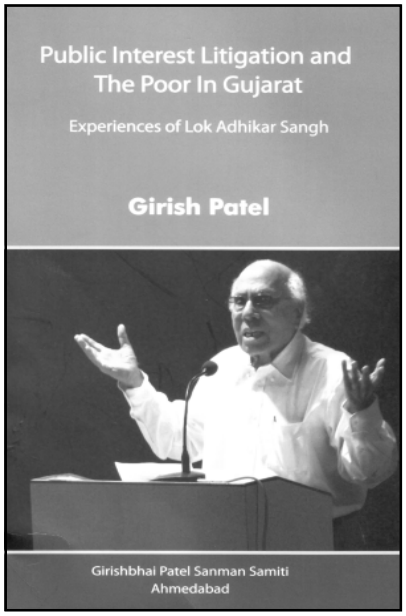

इस दृष्टि से यह पुस्तक गरीबों के लिए मूलभूत अधिकार प्राप्त करने में अदालतें किस तरह से उपयोगी हो सकती हैं उसकी समीक्षा करती है। इस पुस्तक में लेखक ने जिन सवालों का जवाब देने की कोशिश की है वे सवाल इस प्रकार हैं: गरीबी का स्वरूप कैसा है? गरीबी के पहलू, उसकी तीव्रता, उसके अवसर आदि में क्या बदलाव हो रहे हैं? गरीबों के साथ कौनसे सामाजिक आंदोलन शामिल हैं और किस तरह कानून, अदालतें और जन हित याचिका की भूमिका इन समस्याओं का सामना करने में कैसी हैं? जन हित याचिका की सफलताएं और निष्फलताएं क्या-क्या हैं?

जन हित याचिका की सफलता या निष्फलता में कौनसे व्यक्तिगत और संस्थागत कारक कितना योगदान करते हैं? मानव अधिकारों की कानूनी कर्मशीलता और गरीबी के साथ संबंधित सामाजिक कर्मशीलता के बीच समन्वय कैसे किया जा सकता है? जन हित याचिका जो वास्तव में महत्त्वपूर्ण हो तो उसे ज्यादा असरकारक कैसे बना सकते हैं? समाज के विविध क्षेत्रों और विविध स्तरों में तथा विविध समस्याओं के लिए जन हित याचिका किस तरह अलग-अलग हो सकती हैं और उसका स्वरूप किस तरह अलग-अलग हो सकता है? क्या जन हित याचिका के जमाने लद गए हैं या फिर उसमें अभी भी संभावनाएं हैं? जब राज्य नव-उदारमतवादी आर्थिक नीति के अंतर्गत संकोच हो रहा हो तब अदालतों में जन हित याचिका में क्या अवसर हो सकता है? भारत में वैश्विकीकरण के परिणाम स्वरूप जो नई चुनौतियां पैदा हुई हैं उस संदर्भ के साथ क्या जन हित याचिका प्रासंगिक हैं? या फिर गरीबी के विरुद्ध अपनी लड़ाई हमें और कहीं ले जाने की जरूरत है?

इन तमाम प्रश्नों के उत्तर लेखक स्वयं लोक अधिकार संघ के अदालती अनुभव के आधार पर दिए हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद-२१ में जीवन जीने को जो अधिकार दर्शाया गया है उसका सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के संदर्भ में विशिष्ट अर्थ यहां दर्शाया गया है। जीवन जीने का अधिकार कितना व्यापक है और वह गरीबी दूर करने के साथ किस तरह संबंधित है उन बातों का विवरण इस पुस्तक में लेखक ने अलग-अलग मामलों के साथ दिया है।

गन्ना मजदूर, कोन्ट्रेक्ट मजदूर, बंधुआ मजदूर आदि के मामलों शामिल करके पानी, जीवन निर्वाह, आवास, शिक्षण, स्वास्थ्य आदि सहित मानव अधिकारों का जतन करने के लिए और मानवीय गौरव बनाए रखने के लिए अनुच्छेद-२१ कितना महत्वपूर्ण है उसे इस पुस्तक में दर्शाया गया है।

इस पुस्तक की प्रस्तावना विख्यात न्यायविद् श्री उपेन्द्र बक्षी द्वारा लिखी गई है। इस प्रस्तावना से समग्र पुस्तक की समृद्धि में वृद्धि हुई है। उन्होंने निष्ठा, जवाबदारी जैसे शब्दों से शुरू करके गिरीशभाई पटेल का सामाजिक न्याय के लिए प्रदान कानून के उपयोग में जो रहा है उसकी चर्चा की है। श्री बक्षी सोश्यल एक्शन लिटिगेशन (एसएएल) और जन हित याचिका (पब्लिक इन्टरेस्ट लिटिगेशन - पीआइएल) के बीच जो संबंध पैदा हुआ है उसकी समीक्षा की है।

वे बताते हैं कि श्री गिरीशभाई पटेल पीआइएल का उपयोग गरीबी पर हमला करने के लिए किया है वे गरीबी को गौरवपूर्ण जीवन का इन्कार, वंचितता और उसका विनाश समझते हैं। उसके परिणाम स्वरूप परावलंबन, हताशा, भेदभाव, मताधिकार का इन्कार, लाचारी, निराशा और अधिकार विहीनता जन्म लेती है। इन सबके विरुद्ध श्री गिरीशभाई पटेल ने लड़ाई लड़ी है और उसका जो सैद्धांतिक स्वरूप है उसे इस पुस्तक में उन्होंने दर्शाया है। प्रकाशक: गिरीशभाई पटेल सम्मान समिति, ०-४५,४६, चोथी मंजिल, न्यू योर्क ट्रेड सेन्टर, थलतेज चोकड़ी के पास, थलतेज, अहमदाबाद ३८००५४, फोनः ०७९-२६८५७८४८. ईमेलः girishpatel.sanman @gmail.com

लॉ, सोसायटी एन्ड गिरीशभाई

गुजरात के कानून निष्णात और मानव अधिकारों के कार्यकर्ता श्री गिरीशभाई पटेल द्वारा १९७४ से गुजरात के अखबारों में विविध विषयों के बारे में अखबारों में लिखे चर्चापत्रों का संग्रह इस पुस्तक में किया गया है। उनके लिखे चर्चापत्रों को इस तरह अलग-अलग विषयों में विभाजित किया गया है:
(१) कानून, वकील और न्यायमूर्ति (२) मूलभूत अधिकार (३) मजदूर (४) लोकतंत्र (५) गैर-सांप्रदायिकता (६) दलित और

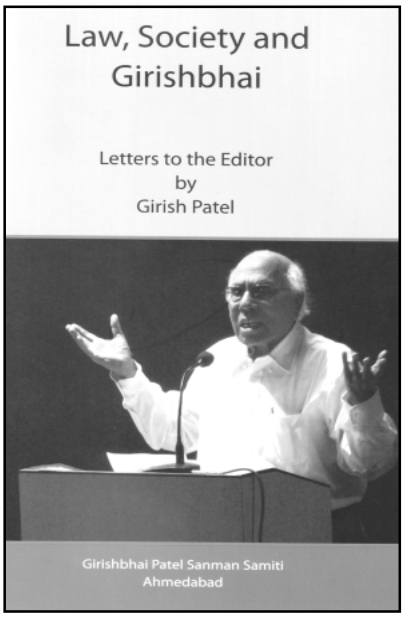

आदिवासी (७) विकास और अर्थतंत्र (८) राजनीति (९) शिक्षण (१०) महिलाएं

किस तारीख को किस अखबार में कौनसा चर्चा पत्र छपा है उसका विवरण भी हरेक चर्चा पत्र के नीचे दिया गया है। ये चर्चा पत्र मूलभूत रूप से उस समय पैदा हुए राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रश्नों के बारे में गिरीशभाई को जो कहना था वह दर्शाता है। अधिकृत रूप से मानव अधिकारों के संदर्भ में जिन प्रश्न की समीक्षा इन पत्रो में मिलती है। अखबारों में अनेक लेखकों के चर्चा पत्र छपते हैं परंतु इसमें कोई शंका नहीं है कि ये चर्चा पत्र नई तरह की ही कला पैदा करते हैं।

इस पुस्तक की प्रस्तावना पीपल्स युनियन फोर सिविल लिबर्टिज (पीयूसीएल) के अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील श्री के. जी. कन्नाभिरन द्वारा लिखी गई है। वे बताते हैं इन चर्चा पत्रों में राजनीति के साथ टकराव में आए कई महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए हैं जो तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक और राजकीय व्यवस्था के समक्ष चुनौति थे।

प्रकाशक: गिरीशभाई पटेल सम्मान समिति, ०-४५,४६, चोथी मंजिल, न्यू योर्क ट्रेड सेन्टर, थलतेज चोकड़ी के पास, थलतेज, अहमदाबाद ३८००५४, फोनः ०७९-२६८५७८४८. ईमेलः girishpatel.sanman@gmail.com

पृष्ठ 9 का शेष

(२) • दीवानी प्रक्रिया संहिता-१९०८ के आदेश के अमल के लिए निर्धारित कार्यवाही करना ग्राम न्यायालय के लिए बाध्यकारी नहीं है।
• यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन करेगा।

(३) जिसने आदेश किया हो वही ग्राम न्यायालय उसका अमल कराएगा अथवा जिस ग्राम न्यायालय ने अमल करने के लिए आदेश भेजा होगा वही अमल कराएगा।

अनुच्छेद-२६

(१) • किसी भी केस की कार्यवाही में ग्राम न्यायालय सबसे पहले तो संबंधित पक्षकारों को समाधान करने के लिए समझाएंगे।
• इसके लिए वह केस के स्वरूप व हालातों को ध्यान में लेगा।
• इसके लिए वह उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कार्यवाही का अनुसरण करेगा।

(२) जब ग्राम न्यायालय को लगे कि पक्षकारों के बीच समाधान की संभावनाएं हैं तो वह उचित लगे तब तक कार्यवाही लंबित रख सकता है जिससे पक्षकार समाधान करने के लिए प्रयास कर सकें।

(३) जब उपरोक्त अनुसार केस की कार्यवाही लंबित हो तब ग्राम न्यायालय समाधान लाने के लिए एक या अधिक विष्टिकारों को केस सौंप सकता है।

(४) यह सत्ता ग्राम न्यायालय को कार्यवाही लंबित रखने की जो सत्ता है उससे अतिरिक्त सत्ता है, उसे नकारने वाली सत्ता नहीं है।

अनुच्छेद-२७

(१) • उपरोक्त उद्देश्य के लिए जिला न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट के साथ विचार-विमर्श करके ग्राम स्तर के सामाजिक कार्यकर्ताओं की सूची तैयार की जाएगी।
• उनकी नियुक्ति विष्टिकारों के रूप में की जाएगी।
• उनकी योग्यता और अनुभव का स्तर उच्च न्यायालय तय करेगा।

(२) इन विष्टिकारों की फीस और अन्य भत्ते राज्य सरकार द्वारा तय किए जाएंगे।

अनुच्छेद-२८

• कोई पक्षकार अपील करे अथवा किसी एक ग्राम न्यायालय में लंबित केसों की संख्या अधिक हो जाए तो जिला न्यायालय एक ग्राम न्यायालय का केस उसके कार्यक्षेत्र के तहत अन्य न्यायालय में स्थानांतरित कर सकते हैं।
• न्याय के हित में भी वह ऐसा कर सकता है।

पृष्ठ 19 का शेष

बढ़ाने और उनके प्रति संवेदनशीलता पैदा करने की व्यवस्था तैयार नहीं की। विचार-विमर्श की सहभागिता की प्रक्रिया ही मात्र जानकारी देने तक पर्याप्त मर्यादित बन गई है। अर्थात नागरिक लाभार्थी बन गए हैं। घर का प्रकार, नया स्थल, खर्च आदि तमाम प्रकार की बातों के निर्णय सहभागी अभिगम से नहीं लिए जाते। अध्ययन टोली ने १० नगरों की ९६ झोंपड़पट्टियों में से ५५ का दौरा किया था। यह बताया गया नगरपालिका की सफाई की सेवाएं मात्र ३ क्षेत्रों में उपलब्ध हैं। लोगों और पालिका के अधिकारियों के बीच विश्वास और संपर्क का अभाव देखने को मिलता है। शायद ही कोई अधिकारी झोंपड़पट्टी में आता है। जब वे आते हैं तब भी सर्वे करने के लिए ही आते हैं। परंतु उसकी खबर उस क्षेत्र के लोगों को शायद ही होती है। जब भी झोंपड़ावासियी अपनी समस्याओं को पेश करने जाते हैं तो बाद में उनको अपना घर खाली करना पड़ता है अथवा तो उसका भय उन्हें सताता रहता है।

उपसंहार

समन्वित गृह निर्माण और झोंपड़पट्टी विकास कार्यक्रम का इरादा अच्छा होते हुए भी दुर्भाग्य से इसके झोंपड़पट्टी खाली करने के प्रोजेक्ट बनने की परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। परंतु यह समग्र कार्यक्रम झोंपड़पट्टी के आधुनिकीकरण का और झोंपड़ावासियों को आधुनिक नागरिक सेवाएं अधकि बेहतर रूप से प्रदान करने का है। उसमें नागरिकों की सहभागिता करने की सिफारिशें दिशा निर्देशों में की गई हैं उनका अमल होना वांछनीय है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी गरीबों को योग्य और वहनीय घर प्रदान करना है। इससे इसी दिशा में ही तमाम प्रयास होने चाहिए। समग्र शहरी आयोजन में भौतिक और वित्तीय रूप से जब शहरी गरीबों के निवास, व्यवसाय के स्थल या उनकी बुनियादी सेवाओं का समावेश नहीं किया जाता तब यह योजना उचित मार्गदर्शन देती है।

पिछले चार माह के दौरान हमने निम्नांकित प्रवृत्तियां हाथ में ली थी:

नागरिक नेतृत्व एवं शासन

१. नागरिक नेताओं की क्षमता निर्माण

पिछले ६ वर्ष से गुजरात में २ जिलों की ६० ग्राम पंचायतों में नागरिक नेताओं की क्षमता निर्माण के लिए काम किया जा रहा है। उनका सामाजिक और राजनैतिक सशक्तिकरण करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ३१ महिला नेताओं सहित १०४ नागरिक नेताओं को विकास के प्रश्नों के बारे में अभिमुख किया गया और उनके नेतृत्व कौशल को बढ़ाने के लिए जून-जुलाई २००८ के दौरान प्रयत्न किए गए थे। राजस्थान में जिन नागरिक मंडलों को प्रोत्साहन दिया गया है उन्होंने अपनी पंचायतों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अमल के लिए प्रक्रिया शुरू की थी।

२. समुदाय और पंचायतों के बीच संवाद

वर्तमान में गुजरात में ३ और राजस्थान में १ पंचायत संसाधन केन्द्र काम कर रहे हैं। तालुका पंचायत के प्रशासन तंत्र के साथ सहयोग करके वे तालुका स्तर की पंचायतों में निर्वाचित और खासकर महिलाओं तथा दलित प्रतिनिधियों को एक जगह पर सारी सूचनाएं प्राप्त कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जोधपुर नगर में १० झोंपड़पट्टी क्षेत्रों में शहरी संसाधन केन्द्रों द्वारा ५ नागरिक समूहों को प्रोत्साहन दिया गया है। वे नियमित रूप से मिलते हैं और इस दौरान १४ व्यक्तियों को विविध सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में उन्होंने मदद की थी।

३. सामाजिक उत्तरदायित्व

सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सक्षम बनाना

पिछले तीन वर्ष के दौरान सामाजिक उत्तरदायित्व को प्रोत्साहन देने के लिए विविध साधनों का उपयोग किया गया है। इसका उद्देश्य विविध हितधारकों को और खासकर स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को शिक्षण प्रदान करने, उन्हें सक्षम बनाने और उनका सशक्तिकरण करने का रहा है। नागरिक समाज के संगठनों द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ काम करने के लिए फरवरी २००९ में एक प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसमें गुजरात में से १२ संगठनों ने भाग लिया था। इसमें से ८ संगठनों अपने कार्यक्षेत्रों में कई पंचायतों में सामाजिक उत्तरदायित्व के साधनों का उपयोग करने के लिए सहमत हुए थे। वे अप्रैल से सितम्बर २००९ तक ६ माह के समय के दौरान प्रायोगिक तौर पर बुनियादी सुविधाओं की परिस्थिति सुधारने के लिए अपने कार्यक्षेत्रों में काम करेंगे। इन संगठनों के स्टाफ को सामाजिक उत्तरदायित्व के साधनों और सूचना अधिकार अधिनियम के बारे में अभिमुख किया गया था।

नागरिकों का रिपोर्ट कार्ड

सामाजिक उत्तरदायित्व को प्रोत्साहन देने के लिए साधनों को सामूहिक रूप से सिखाने की प्रक्रिया को खुला मार्ग देने के लिए नागरिकों के रिपोर्ट कार्ड का प्रयोग गुजरात में ६ गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से किया गया था। उसमें पानी की आपूर्ति, कचरे का एकत्रीकरण और गटर व्यवस्था के बारे में १० मध्यम कक्षा और छोटे नगरों में रिपोर्ट कार्ड पद्धति अपनाई गई थी। किसी-किसी नगरपालिका को भी विश्वास में लिया गया था। इसके परिणाम स्वरूप नागरिकों, निर्वाचित प्रतिनिधियों और नगरपालिका के अधिकारियों ने सेवाओं की आपूर्ति में जहां कहीं कमी थी उसको देखा और उन्होंने उस परिस्थिति में सुधार करने की तैयारी दिखाई थी।

सूचना के अधिकार के बारे में शिविर

गुजरात में और राजस्थान में शासन को पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने के लिए साधन के रूप में सूचना के अधिकार का उपयोग करने की बात को प्रोत्साहन देने के प्रयास किए गए हैं। सूचना अधिकार के शिविर आयोजित करने के लिए गुजरात में से १४ नागरिक नेताओं को प्रशिक्षक के रूप में चयन किया गया था। उन्होंने २ जिलों में ऐसी ६७ सूचना अधिकार शिविर आयोजित किए थे। इन शिविरों में ९२४ व्यक्ति आए थे और १०१ आवेदन किए गए थे। 'नागरिक वाचा' नामक ४ पन्नों का एक सामाचार पत्र प्रकाशित किया जाता है। मार्च २००९

के दौरान आयोजित किए शिविरों में यह समाचारपत्र वितरित किया गया। उसमें सरकारी योजनाओं के बारे में सूचना दी गई थी। पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व को प्रोत्साहन देने के लिए नागरिकों द्वारा किए इन प्रयासों के बारे में बताया गया था। राजस्थान में जोधपुर में झोंपड़पट्टी क्षेत्रों में ऐसे तीन शिविर आयोजति किए गए जिसमें ६५ व्यक्तियों को सूचना दी गई थी। जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे १४ शिविरों में २१३ व्यक्तियों को सूचना के अधिकार के बारे में जानकारी दी गई थी।

४. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का असरकारी अमल

गुजरात में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का अमल कराने के लिए राज्य सरकार के ग्राम विकास विभाग के सहयोग से एक नरेगा सेल चलाने के लिए 'उन्नति' का चयन किया गया है। इस सेल की प्रथम प्रवृत्ति यह रही कि १९-७-२००९ को सरकार, गैर-सरकारी संगठनों, पंचायती राज की संस्थाओं और विद्या जगत के प्रतिनिधियों के साथ असरकारी अमल के लिए व्यूहरचना बनाने के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी। राजस्थान में जोधपुर में २७-२८ अप्रैल २००९ के दौरान नरेगा के अमल में चुनौति और अवसरों के बारे में आयोजित एक कार्यशाला में गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी हाजिर थे। इस कार्यशाला के दौरान यह बताया गया था कि सार्वजनिक संपत्ति के संसाधनों, व्यक्तिगत संसाधनों और विपत्ति के जोखिमों से संबंधित प्रश्नों को हल करने की क्षमता इस योजना में है। समुदाय, पंचायतों और सरकारी अधिकारियों जैसे विविध स्तरों पर जागृति आए और भ्रष्टाचार दूर करने सहित राजनैतिक इच्छा शक्ति पैदा हो जो इस योजना के अमल के संदर्भ में बड़ी चुनौतियां हैं।

५. शहरी आयोजन के बारे में तालीम

गुजरात में शहरी विकास, आयोजन की प्रक्रिया और आयोजन के ढांचे में सामाजिक, भौतिक और आर्थिक पहलुओं की समझ बढ़ाने के लिए १४-१५ जुलाई, २००९ के दौरान आयोजित एक तालीम में १२ गैर-सरकारी संगठनों के २३ प्रतिनिधि हाजिर थे। लोगोलिन्क प्रयास के अंतर्गत २३-३० अप्रैल, २००९ दौरान ब्राजील में नागरिक नेतृत्व को प्रोत्साहन के बारे में आयोजित एक परिसंवाद में संस्था के २ प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नागरिक आंदोलनों और स्थानीय शासन के विविध पहलुओं के बारे में उसमें चर्चा हुई थी। शिहोर तालुका के सामाजिक न्याय समिति के ग्राम पंचायत के सदस्यों ने तालीम देने के लिए ५.५.२००९ को 'आनंदी' को सहायता दी गई थी। १५-७-२००९ को गुजरात विद्यापीठ में समाज कार्य विभाग की विद्यार्थियों को पंचायती राज के बारे में अभिमुख किया गया था। गुजरात में सायला में आगाखां ग्राम समर्थन कार्यक्रम के स्टाफ को स्थानीय शासन के विविध पहलुओं के बारे में तालीम दी गई थी। इस बात पर जोर दिया गया कि वे जो कार्यक्रम चलाते हैं क्या उसमें स्थानीय शासन की संस्थाओं को जोड़ा जा सकता है ताकि उनके व्यूहात्मक आयोजन में वे मददगार हो सकें ।

सामाजिक समावेश और सशक्तिकरण

१. दलितों का संगठन

अन्याय के विरुद्ध केस

पश्चिम राजस्थान में तीन जिलों में ११ दलित संदर्भ केन्द्रों द्वारा दलितों को संगठित करने का प्रयास किया गया है। २४८ गांवों में स्त्रियों और पुरुषों की ग्राम स्तरीय समितियों की रचना की गई है। उनका महामंडल बनाकर तालूका स्तर पर २२ समितियों की रचना की गई है। उन्होंने दलितों पर अत्याचार के ९ और महिलाओं पर अत्याचार के ७ मामले उठाए थे। वे पीड़ितों को सलाह देने, कानूनी मार्गदर्शन देने और प्रशासन तंत्र पर दबाव लाने का काम कर रहे हैं। भेदभाव के २ मामलों में और ६४ बीघा जमीन पर कब्जे के ६ मामलों में उन्होंने सहायता प्रदान की थी। ५४ लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया था।

दलित नेताओं की क्षमता निर्माण

मई और जून २००९ के दौरान ६४३ दलित नेताओं के लिए १० तालीमें आयोजित की गई थी। पंचायतों के आगामी चुनावों में दलित अधिकार अभियान की भूमिका, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, सूचना अधिकार अधिनियम और अनुसूचित जातियों और

अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं संबंधी प्रश्नों के बारे में चर्चा की गई थी। सिंधरी में स्व-सहायता समूहों के ४५ सदस्यों को ३०-३१ जुलाई, २००९ के दौरान जीवन निर्वाह के विकल्पों के बारे में अभिमुख किया गया था। १७-१८ जुलाई २००९ के दौरान जिला संदर्भ केन्द्र के स्तर पर मुख्य प्रवाह में महिलाओं के बारे में एक कार्यशाला आयोजित की गई थी जिसमें २१ महिला नेताओं और स्टाफ के सदस्यों ने भाग लिया था।

हितधारकों के साथ संपर्क

दलित अधिकार अभियान के साथ वकीलों का संपर्क करने के लिए २४वीं मई और ११वीं जुलाई को ८४ वकीलों के साथ दो बैठकें आयोजित की गई थी। 'दलित अपडेट' द्विमासिक के दो अंक प्रकाशित किए गए। उसमें सरकारी योजनाओं और बाबासाहेब अंबेडकर के विचारों के बारे में जानकारी दी गई थी। स्थानीय संस्थाओं के सहयोग से ९ स्थलों पर अंबेडकर जयंती मनाई गई थी। उसमें २००० लोगों ने भाग लिया था और नागरिक नेताओं का सम्मान किया गया था।

पैरालीगल (उप विधिक) की तालीम

अहमदाबाद की इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पैरालीगल स्टडीज के सहयोग से पैरालीगल का दूसरा समूह तैयार किया जा रहा है। १-२ जून, २००९ के दौरान और २२-२७ जून, २००९ के दौरान उनके लिए दो तालीमें आयोजित की गई थी। उनमें ६ महिलाओं सहित २३ कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था। आईपीसी, सीआरपीसी, साक्ष्य अधिनियम, महिलाओं संबंधी अधिनियम और सलाह आदि बातों के बारे में तालीम दी गई थी।

दलित अधिकार अभियान का आंतरिक मूल्यांकन

दलित अधिकार अभियान के आंतरिक मूल्यांकन में स्थानीय स्तर की संगठन प्रक्रिया, विविध कर्ताओं की भूमिका, जिला संदर्भ केन्द्रों का प्रशासन, दस्तावेजों का रखरखाव और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों का समावेश किया गया था। जोधपुर में सहभागी संगठनों के मुख्य कार्यकर्ताओं और नागरिक नेताओं की एक कार्यशाला २४-२५ जुलाई, २००९ के दौरान आयोजित की गई थी ताकि भूतकाल की सीखों को ध्यान में रखकर आगामी चरण का आयोजन किया जा सके।

२. विकलांगता के मुद्दे को मुख्य धारा में लाना

'उन्नति' द्वारा और 'उन्नति' में ९ अप्रैल को प्रयास सेन्टर फॉर लेबर रिसर्च एन्ड एक्शन के अनुरोध की एक बैठक का आयोजन किया गया था। इसमें गुजरात में जिनिंग कारखानों में काम करने वाले असंगठित मजदूरों की विकलांगता की समस्या के बारे में चर्चा गई थी। विविध संस्थाएं उनकी सहायता करें और उनके साथ उनका संपर्क बनाने के लिए चर्चा की गई थी। प्रयास इन संगठनों के संपर्क में है जिससे पीड़ित व्यक्तियों की सहायता की जा सके। विविध विकलांगता के मुद्दों पर काम करने वाले संगठनों को सहायता देने के लिए नागरिकों सहभागिता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं संभावित सहभागी संगठनों की सूची तैयार की गई है और उनका दौरा किया गया है। ईरान के पांच सरकारी अधिकारियों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के फेलो के रूप में भारत का दौरा किया था। ७-५-०९ को उन्होंने 'उन्नति' का दौरा करके विकलांगता के मुद्दे को मुख्य धारा में लाने के लिए नागरिक समाज की भागीदारी के प्रयासों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी।

३. सेटकोम द्वारा आदिवासी क्षेत्रों की शालाओं के विद्यार्थियों का अंग्रेजी शिक्षण

गुजरात के आदिवासी विकास विभाग के सहयोग से सेटकोम द्वारा आदिवासी क्षेत्र की शालाओं के विद्यार्थियों को अंग्रेजी सिखाने का एक प्रोजेक्ट हाथ में लिया गया है। २-५-२००९ को तैयारी के रूप में एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी का शिक्षण देने के लिए भाषा विकास के क्षेत्र में सघन कार्य करने वाले पेशेवरों ने इसमें भाग लिया था। उन्होंने अभ्यास क्रम बनाने के बारे में तथा उसके अभिगम के बारे में और पद्धति तथा शिक्षा शास्त्र के बारे में और शिक्षकों की तालीम, सहायता, देखरेख और असर के मूल्यांकन के बारे में चर्चा-विचारणा की थी। इस कार्यशाला के बाद चार सदस्यों की एक सलाहकार समिति बनाई गई थी जो समग्र प्रक्रिया में मार्गदर्शन प्रदान करेगी। पाठ्यक्रम बनाने के लिए ६ शिक्षकों और एक संयोजक की नियुक्ति की गई है। आदिवासी क्षेत्रों की

शालाओं का दौरा करने के बाद जरूरतों का मूल्यांकन किया गया है और प्रथम माह के लिए पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं। उसमें विविध बैठकों, वर्कबुक-१ और गीतों की रेकोर्डिंग का समावेश है। कई कक्षाओं का पहले से ही रेकोर्डिंग किया गया था। आदिवासी क्षेत्रों की शालाओं के संसाधनों के सर्वे से यह पता लगा कि उसमें सभी ढांचागत सहूलियतें हैं परंतु अंग्रेजी भाषा सीखने वालों का अभाव है। इस प्रोजेक्ट के अमल के लिए जरूरी हार्डवेयर तमाम शालाओं में लगाया गया है। इन शालाओं के शिक्षक प्रायोजक की भूमिका अदा कर रहे हैं। उनमें से १४ जिलों के १२५ अंग्रेजी शिक्षकों को इस कार्यक्रम के हेतु, अभिगमों और पद्धतियों के बारे में तीन दिन के कार्यक्रम में अभिमुख किया गया था।

विपत्ति के जोखिम में कमी के सामाजिक निर्धारक

१. विपत्ति का सामना करने की तैयारी और निवारण के लिए प्रयास

अकाल संभावित क्षेत्रों में पानी और घास-चारे की सुरक्षा

पश्चिमी राजस्थान में अकाल संभावित क्षेत्रों में दलितों और असहाय समुदायों की पानी की सुरक्षा के लिए जनवरी २००९ से प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले ६ माह के दौरान ३४३ पानी की टंकियां बनाने के लिए सहायता दी गई थी। इसके अतिरिक्त, ४० परिवारों को खेती के लिए सहायता दी गई थी। पिछले एक वर्ष के दौरान सिंचित और गोचर जमीन के विकास के लिए जोधपुर और बाडमेर जिलों के ५ तालुकों के ३८ लघु और सीमांत किसानों द्वारा प्रयास किए गए ताकि घास-चारे की पूरी आपूर्ति हो सके। इन जमीनों पर ५९२ नए पेड़ लगाए गए और १० नए भूखंडों पर भी बुवाई की गई। इन सभी स्थलों पर पौधों के विकास के लिए तकनीकी सहायता दी गई और निष्णातों का दौरा भी आयोजित किया गया था। ३८ जमीनों को पूरी मात्रा में पानी दिलाने के लिए बरसाती पानी के संग्रह के लिए पाल बांधने का काम भी हाथ में लिया गया था।

जोखिम में कमी के लिए बीमा

'सेवा वीमो' के साथ ६७ नए परिवारों को जोड़ा गया और घर को हुए नुकसान के बारे में ३ दावों के बारे में सहायता दी गई। राजस्थान में सिंधरी और शेरगढ़ में पशुओं के बीमे को प्रोत्साहन देने के लिए २८-३० अप्रैल, २००९ के दौरान दो शिविर आयोजित करने में सहायता दी गई थी और ६६४ बकरियों का बीमा किया गया था।

कारीगरों का मंडल और टेक्नोलोजी का बदलाव

राजस्थान में कल्याणपुर और सिंधरी में कारीगरों के दो मंडलों के २० कारीगरों को लाइम स्टेबिलाइजेशन टैक्नोलोजी के बारे में तालीमें दी गई थी। इससे एक ब्लॉक का खर्च डेढ़ रुपया घट जाता है। ८-१२ अप्रैल, २००९ के दौरान शेरगढ़ में २२ महिलाओं को प्लास्टर करने और चिनाई करने के काम की तालीम दी गई थी। इस क्षेत्र में सामान्य रूप से महिलाएं चिनाई का काम करती हैं।

समुदाय संचालित विपत्ति के जोखिम में कमी

समुदाय संचालित योजनाओं से विपत्ति के जोखिम में कमी लाने के लिए जोखिम का आकलन करने में समुदाय सहभागी बने और असहाय लोगों की पहचान करने वाली पंचायत की विकास योजनाओं के साथ जुड़ाव हो उसके लिए हुए प्रयासों का व्यवस्थित दस्तावेजीकरण किया जा रहा है। विविध प्रदेशों में इस प्रकार की योजनाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। शेरगढ़ तालुका के अडागला गांव में इस प्रकार की योजना का विकास किया गया था।

२. मुलाकात और विचारों का आदान-प्रदान

अप्रैल २००९ के दौरान विपत्ति के जोखिम में कमी के लिए हुए विविध प्रयासों को समझने के लिए १२ गैर-सरकारी संगठनों के २४ सहभागियों के लिए कच्छ का दौरा आयोजित किया गया था। गुजरात के ८ गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के समूह ने अकाल की स्थिति, अकाल का सामना करने के समुदायों के प्रयासों और उनकी असहायता में कमी के लिए प्रयासों को समझने के लिए राजस्थान का दौरा किया गया था। अफ्रीका के मालावी में कोर्डऐड इंडिया के सहभागी संगठनों की जो वैश्विक परिषद ८-१२ जून, २००९ के दौरान

आयोजित की गई थी उसमें 'उन्नति' के दो प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। विपत्ति के जोखम में कमी के लिए सहभागियों द्वारा किए गए प्रयासों की एक लघु फिल्म उन्होंने दिखाई थी। जलवायु में परिवर्तन के बारे में इस परिषद में एक घोषणा तैयार की गई थी।

पृष्ठ 15 का शेष

भारत में आय की असमानता काफी अधिक है। यह एक महत्त्वपूर्ण लक्षण भारत के अर्थतंत्र एवं समाज में देखने को मिलता है। यदि बजट की सहभागी प्रक्रिया हाथ में ली जाए तो उसका गरीबों पर काफी असर पड़ सकता है। उसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि गरीब अपनी जरूरतों को इस प्रक्रिया के दौरान पेश कर सकते हैं। सामान्य रूप से समाज के अन्य समूह जो सहूलियतें एवं सेवाएं प्राप्त करते हैं वे सहूलियतें एवं सेवाएं गरीब भी इस तरह प्राप्त कर सकते हैं। सहभागी बजट की प्रक्रिया से स्थानीय सरकार के प्रशासन तंत्र को उत्तरदायी बनाया जा सकता है। झूठे वादे करना उनके लिए असंभव बन जाता है अथवा काम में धीमी प्रगति के लिए भी उनको जवाब देना पड़ता है।

सहभागी बजट की प्रक्रिया वास्तव में सशक्तिकरण, अधिकारिता एवं सामाजिक समावेश का साधन है। ब्राजील में इसके बारे में जो अनुभव हुआ वह यह दर्शाता है कि यदि वॉर्ड स्तर पर सभाएं आयोजित की जाएं तो महिलाएं एवं समाज के पिछड़े वर्ग उसमें अधिक भागीदार होते हैं। उसका कारण यह भी है कि सभा का स्थल नजदीक होता है एवं परिवहन के लिए समय एवं धन की दृष्टि से कम खर्चा होता है। समाज के वंचित वर्ग समग्र प्रक्रिया में भाग लें तो उन्हें स्थानीय शासन अपना लगता है।

सहभागी बजट की प्रक्रिया स्थानीय स्तर की राजकीय स्थिति को बदलने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संघर्ष की राजनीति एवं विभिन्न युक्ति-प्रयुक्तियों तथा भ्रष्टाचारी राजनैतिक सौदाबाजी अधिकांशतया स्थानीय सरकारों में देखने को मिलती है। सहभागी प्रक्रिया हो तो उनका स्थान रचनात्मक चर्चा एवं संवाद लेता है तथा शासन में नागरिकों की सहभागिता होती है। इसके परिणाम स्वरूप गरीबों एवं पालिका के बीच संबंध बदल सकते हैं क्योंकि जरूरतों, अवरोधों, भूमिकाओं एवं जवाबदारियों के बारे में दोनों पक्ष अधिक बेहतर समझ सहभागी प्रक्रिया के कारण पैदा हो सकती है। यदि इस तरह सहभागी स्तर पर बजट बनाया जाए एवं उस पर अमल किया जाए तो नगर सेवकों की राजनैतिक ताकत घटती है तथा उन पर अपने निर्वाचन क्षेत्रों के प्रति एवं खास कर के कम आय वाले समुदायों के प्रति अधिक प्रतिभावात्मक बनने का दायित्व पड़ता है।

उन्नति

उन्नति

विकास शिक्षण संगठन

जी-1, 200, आज़ाद सोसायटी, अहमदाबाद-380015

फोनः 079-26746145, 26733296 फैक्सः 079-26743752 email: sie@unnati.org

राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय

650, राधाकृष्णन पुरम, लहरिया रिसोर्ट के पास, चौपासनी-पाल बाई पास लिंक रोड, जोधपुर-३४२००८, राजस्थान

फोनः 0291-3204618 email: unnati@datainfosys.net

डिज़ाइनः रमेश पटेल, उन्नति

मुद्रकः बंसीधर ऑफसेट, अहमदाबाद.

आप लोक शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए विचार में प्रकाशित सामग्री का सहर्ष उपयोग कर सकते हैं। कृपया सौजन्य का उल्लेख करना न भूलें और साथ ही अपने उपयोग से हमें अवगत करायें ताकि हम भी उससे कुछ सीख सकें।